

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): The Chief Minister did speak to me but I did not say that the Bill would be introduced now. I said that I would bring it to the notice of the Commerce Minister.

SHRI P. M. MEHTA (Bhavanagar): I have written to you that the talk of Shri Vinoba Bhave with our hon. Prime Minister...  
(Interruptions).

MR. SPEAKER: This is not concerning the business of the House.

SHRI P. M. MEHTA: I have made my point under Rule 577.

MR. SPEAKER: This cannot be raised here. This is for my consideration. (Interruptions). We are seized of the question of next week's business but you are raising a different issue. It is not proper to raise it today. You have written to me. It will give my consideration. Now, Bills to be introduced.

11.08 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

SHRI H. R. GOKHALE: I beg to introduce the Bill.

11.09 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the re-adjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such re-adjustment is necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the re-adjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such re-adjustment is necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith."

The motion was adopted

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I introduce the bill.

11.11 hrs.

MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Marriage Laws (Amendment) Bill. Time allotted— 4 hrs. and time taken is 10 minutes.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): I have moved it already, Sir.

MR. SPEAKER: Now, Mr. Dinesh Joarder.

SHRI DINESH JOARDER (Malda): Mr. Speaker, Sir, I welcome the measures that have been incorporated in this Marriage Laws (Amendment) Bill, while welcoming the bill, I would like to point out certain measures stipulated in this bill, which require fresh consideration and re-consideration in view of the fact that those measures will bring in certain consequences and a far-reaching effect in our social and family lives, as also in the relations between man and women. They will change the future development of family, as also affect the next generation. As such, though I generally agree with most of the provisions of this bill, since I am not an expert in sociology or a research student on this subject, I cannot at this moment foresee or say definitely that the measures which have been envisaged in the bill will bring in the expected and desired results in our family, or marital lives. This aspect has to be considered.

On the other hand, the hasty manner in which this bill has been drafted and brought before this House for consideration, was not desirable at all. This is an important bill, affecting the relations between man and woman and also having serious consequences in family life. But the bill has been drafted and brought before the House in a very hurried manner. I think that proper, adequate and appropriate consideration and thought have not been applied in the formulation of this bill. In this connection, I would like to refer to the Statement of Objects and Reasons of the bill, which has mentioned that the 59th Report of the Law Commission has been taken into consideration.

I would like also to mention here that the Chairman of the Law Commission, Mr. P. B. Gajendragadkar has written a letter to our Law Minister, Mr. Gokhale. This letter proves my contention that the bill has been drafted in a very hurried manner, without giving proper, adequate and appropriate thought and consideration to the issues involved.

The letter was addressed to Shri H. R. Gokhale, The Minister of Law, Justice and Company Affairs, Government of India. This was written by Shri Gajendragadkar. I will quote it. It says:

"You may recall that this is the result of the suggestions you have made in your letter addressed to me on the 7th January, 1974. As requested by you, the Commission took up the work on a priority basis and I am happy that we have been able to complete the work within a month and half."

So, as a result of consideration, thinking, drafting of the Bill, holding of meetings and other paraphernalia, the work was completed within a month and a half, and the suggestions were made to the Ministry.

It has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons that the Report and the recommendations of the Committee on "The Status of Women" were also taken into consideration at the time of drafting this Bill. In the recommendations, resolution and the suggestions of the Committee on "The Status of Women" in India, there are various other aspects also. There are comprehensive suggestions regarding the welfare and the upliftment of the conditions of women in our country. Then there are other aspects also such as, education, employment, labour, other facilities, social relations, political position, and so on. All other matters were also considered. Without taking into consideration all those factors, how can we judge in what conditions our women are living in our present socie-

[Shri Dinesh Joarder]  
 ty? What are the constraints and difficulties that we are facing in our country? What are the constraints and difficulties that our youths are facing in our country? Generally the youths and the students are facing these things in our country. Unless those constraints, crisis and problems are removed from the present social set up and the economic structure of our life is changed, simply bringing changes in the Marriage Laws will not help in bringing certain modern and ultra-modern developments in our way of life in our society.

I would suggest that the Minister, even at this stage, could send this Bill for eliciting public opinion or to a Select Committee for better consideration, deliberations and taking opinions of the experts, Sociologists and other people who are concerned in this matter. After taking those well considered and well thought out views, this Bill can be brought forward again in this House. At this stage, the Minister can agree for sending it to the Select Committee or for eliciting public opinion.

At the present time, we are facing many difficulties in building up a healthy family life. It is well known that people even in the rural areas are not educated. They do not have the idea of a planned family life and a well organised, well developed and well thought out family life. As far as the people living in the urban area are concerned, if they think of a well planned happy life, they cannot lead it because they do not have that idea. Unless those hazards are removed, simply changes in the Marriage Laws will not help in our way of life. That is my contention.

As regards certain provisions of the Bill, in the present amendment, it has been suggested that cruelty and desertion will also be the grounds for divorce. Previously these were the grounds only for judicial separation. Also, a time-gap for bringing a suit for

judicial separation or, particularly, for divorce has been minimised. The earlier provision was that for unsoundness of mind and for other things, the period was three years for bringing a divorce suit and, after judicial separation, it was two years for bringing a divorce suit. Now, that period has been minimised and, actually, there is no time fixed for bringing a suit for divorce on any ground and, after judicial separation, it is only one year and, for desertion, it is only two years.

I have no objection to this sort of changes. But I would like the hon. Minister as well as the Members of the House to consider whether this will be a right thing that a slightest conflict, a slightest difference of opinion, between husband and wife should encourage them to bring in a divorce suit. Previously, the idea of the legislators was that this will not be the rule of life and that certain misunderstanding, certain conflict or cruelty or some other conflict in marital life of husband and wife will not encourage them to bring a divorce suit or have judicial separation. It was considered that certain time should be given for reconciliation, for adjustment and it was felt that, with a tolerant attitude, by conciliation and interference of well-wishers and family members, they can have time to think over and only then go in for divorce. That time-limit, that time-gap, has now been removed. I am not opposing this. But I want the hon. Minister and the House to consider whether this will give rise to the scope of an immediate provocation for going in for divorce even if there is certain minor conflict or difference of opinion or a little mal-adjustment or a certain cause that may lead to cruel behaviour either on the part of husband or on the part of wife which may result in a temporary desertion and also some sort of unsoundness of mind.

Now-a-days, we are living in a very complex society. With a certain kind of mental shocks, a certain unsound-

ness of mind may crop up. Either the husband or the wife may suffer from it for a temporary period. That sort of unsoundness of mind and certain difference of opinion may come in the way of marital life, the conjugal life, of the husband and the wife. Whether this will be a good ground for immediately going in for separation or for bringing a divorce suit is a matter which should be considered in a very cool manner, dispassionate manner, giving due consideration to the future consequences that may come up. Also, after one year of the judicial separation, when a divorce suit can be filed, I would like the same consideration to be given to that.

Now, the provision has been made that for maintenance order no cohabitation for one year is there and there may be a divorce suit. Any party can bring up a divorce suit. Divorce by mutual consent is also a welcome provision but, taking the total effect of these new changes that have been brought in this Bill, whether this will lead to the development of a healthy family and a tolerant spirit and a balanced view among the family or whether they will be the cause of splitting up a family by encouraging separation for certain minor causes and whether these will have a disastrous effect on our family life and our future social development has to be considered.

I have already stated that I am not an expert on this subject. Those who have done certain research work and have gathered certain facts and figures, those who have examined certain people in the Universities and other places and those who are going on doing research on this subject can give us the facts and figures and tell us that these are the causes of separation. But I am afraid such people have not been consulted and their views have not been taken into consideration while formulating this

Bill, I have found no such thing either in the Statement of objects and Reasons or in the statement that our Hon. Minister made yesterday. I do not find that these aspects have also been considered.

Now, I would like to mention that the Committee on the Status of Women have also suggested that the word 'adultery' should be removed from the Indian Penal Code and from other penal provisions as being an offence for punishment. In the present context of thing, the moral values of our life and the meaning thereof have changed altogether. In the present complex society, men and women are working side by side in offices and are moving about everywhere in buses and trains together. So, the status and the relationship between men and women have also changed, and the concept has changed. So, this adultery or living in polygamy may be a civil offence and a ground for judicial separation or divorce, but the suggestion of the Committee on the Status of Women in India is very correct and we come that the word 'adultery' now appearing in the Indian Penal Code as a penal offence should be removed.

I would also like to draw the attention of our Hon. Minister to the fact that, while changing the definition of a 'lunatic' and in regard to certain other grounds, only an explanatory note has been given instead of a composite definition. In this new clause, what 'lunatic' means has been explained only in an explanatory note. This may create complications and divergent opinion may come up at the time of trial and there may be mis-interpretation of this definition, and certain other things are also there. While considering the different amendments I would deal with these matters in details. But I would just like to know the views of the Minister and so, I only touch those points.

[Shri Dinesh Joarder]

Here it has been stated:

“at the time of the marriage, neither party—

- (a) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind; or
- (b) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children;”

Previously, it was ‘lunatic’. Now you are going to add certain other aspects to ‘lunacy’ or unsoundness of mind; in addition to being unfit for marriage he or she must also be unfit for procreation of children. That means, if the party is lunatic but can produce children, he or she can give a valid consent. Only unsoundness of mind or unfitness for marriage will not be a sufficient ground for a void marriage; also with that, the man or woman possessing unsoundness of mind and is unfit for marriage, must also be unfit for procreation of children. This requires a certain clarification and I would like to have the opinion of the Minister on this point.

Even in the case of impotency, ‘impotency’ itself is not a ground. In the Bill it is said:

“that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent;”

That means, if a man is impotent but with an extraneous effect is possessing that sort of vitality, that is, even though he is impotent, if he can otherwise, by some drug effect, consummate the marriage once or twice in his life—in whatever manner it may be—, even if he is a man with the regular nature of impotency, then there is no cause for separation or for the marriage being void. This is not very clear. I would request the hon. Minister to clarify this also.

I would also request the Minister to consider this. We all desire, we all welcome, that a man or woman should not be punished by way of causing certain delay, by way of bringing certain provisions to detain them from going in for a second marriage. But, if, out of the first marriage, they have two or three children and they take the earliest opportunity to have the second marriage and have another set of two or three children with another partner, then what would happen to the family planning drive? So, you have to consider this from this aspect also.

I welcome the provisions in the Bill for early and expeditious disposal of the suits as also that the proceedings under this Act would be conducted *in camera*. Other provisions or engaging conciliator and arbitrator by the court are also very welcome provisions.

Now, when a partner of the marriage suffers imprisonment for seven years or more for certain criminal offences, that has been made as the ground for divorce. If that be the ground, why should you not include persons engaged in smuggling, other anti-social activities, offences under Drug Control and Food Adulteration Acts? These are the heinous crimes in the society. I would suggest that of a person, whether husband or wife, is found guilty of such offences, that should also be made a ground for judicial separation or for divorce.

With these views, I would again suggest to the hon. Minister that if it is not too late, the Bill should be sent to a Select Committee or circulated for eliciting public opinion, so that all the points and other matters having serious and far-reaching effect on our family and social life could be well considered and examined. Thereafter, this Bill should be again brought for consideration and passing.

श्री लजपत सिंह (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की बड़ी प्रतीक्षा की जा

रही थी। समाज-सेवी, राजनीतिज्ञ या और तरह के जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग हैं हैं वे सभी इस विधेयक की चर्चा करते थे कि सदन में यह विधेयक आए और यह कानून पास हो ऐसा सभी कहते थे। कुछ विजम्ब अवश्य हुआ है लेकिन यह विधेयक आया इसलिए मैं मन्त्री महोदय को सक्की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

इस विधेयक का उद्देश्य साफ है। लेकिन इस विधेयक को समझने में लोगों में कुछ भ्रम है। लोग कहते हैं कि जब हमारे यहां तैहुजरिज्म है तो किसी विधेयक या कानून वा संशोधन के पहले जाति विशेष या धर्म विशेष का नाम क्यों जोड़ा जाता है जैसे यह विधेयक है, इस का नाम है हिन्दू मैरिज ऐक्ट (अमेंडमेंट) बिल। लोगों का कहना है कि यह हिन्दू कहां से आ गया? अगर कहीं मुस्लिम शब्द हो तो कहेँगे यह मुस्लिम कैसे जोड़ा गया वा ईसाई हो तो कहेँगे ईसाई कैसे जोड़ा गया? केवल विवाह कानून ही क्यों नहीं रहा? हिन्दू शब्द क्यों लाया गया? इस तरह की आशंका लोगों के मन में है। लेकिन मैंने जो इस विधेयक को देखा और इसके एम्स और आब्जैक्ट्स को पढ़ा तो मेरे मन में कोई भ्रम नहीं रहा है। वह इसलिए कि यह कोई कानून में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है या कोई नया कानून नहीं आ रहा है बल्कि जो कानून है उसके कार्यान्वयन में जो लोगों ने दिक्कतें अनुभव की हैं उनके सुधार के लिए कुछ संशोधन इस विधेयक में लाए हैं। इसलिए नाम में कोई परिवर्तन यहां हो यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कुछ समय बीतने के बाद सरकार ऐसा अनुभव करे और वह सिविल मैरिज बिल इस सदन में विचारार्थ और स्वीकृत्यर्थ लाए तो वह अलग बात है। इसलिए हम को इसके भ्रम में नहीं पड़ना है। जो विधेयक है वह ठीक है। इसके एम्स एंड आब्जैक्ट्स को पढ़ कर मैं सुनाऊंगा तो जो

कुछ मैं कह रहा हूँ वह स्पष्ट हो जायेगा। वह इस प्रकार है :—

- (i) to liberalise the provisions relating to divorce,
- (ii) to enable expeditious disposal of proceedings under the Act, and
- (iii) to remove certain anomalies and handicaps that have come to light after the passing of the Acts.

जो कानून हैं, जो दिक्कतें उसमें हुई हैं उनको दूर करने के लिए विधेयक लाया गया है। उदाहरण के लिए मैं धारा (14) की चर्चा करूंगा। उसमें था कि शादी होने के तीन वर्ष बाद मुकदमा दायर करने के बाद ही मुकदमे की सुनवाई शुरू होती थी लेकिन अब नवें संशोधन में आपने एक वर्ष का समय ही रखा है। रिकॉसिलिएशन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय ही दिया गया है। पुरानी पद्धति में इंसाफ में बहुत विलम्ब होता था और इंजाफ नहीं मिलता था लेकिन उसमें सुधार किया गया है और यही इस बिल को विलक्षणता है। इसलिए मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्रीमन, जब इस तरह के मुकदमे होते हैं तो जगदातर केसेज में स्त्रियां ही सफरर होती हैं। अब ने सनाज के कुछ ऐसे नियम हैं कि जब लड़की को शादी हो जाती है, वह सुसराल चली जाती है तो उसके माता पिता कुछ ऐसा सनझ लेते हैं कि उनको अब अनो लड़की से लेना देना नहीं रह गया है। यदि संयोग से पति के घर में उसका निर्वाह नहीं हुआ, वहां पर वह उपेक्षित हुई, उसकी भर्त्सना हुई तो वह अपने मां बाप के घर को ओर देवता है लेकिन जब उसको वहां के दरवाजे भी बन्द मिलते हैं और कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह दर दर का ठोकरें खाती है। मुझे

### [श्री जगन्नाथ मिश्रा]

तो यह कहते हुए शर्म होती है लेकिन सच बात कहता हूँ कि उसका आचरण भी भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह से हम उनको भ्रष्ट होने के अवसर देते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए अब एक बड़ा सुन्दर अवसर आ गया है जिसकी चर्चा करना मैं यहाँ पर नहीं भूलूँगा। वह है बीस सूत्री कार्यक्रम। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने गरीबों के लिए, आदिवासियों और हरिजनों के लिए लीगल एड की व्यवस्था की है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि ऐसे केसेज से भी महिलाओं के लिए आप लीगल एड की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा कि उनके रहने के लिए आवास नहीं होते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार को उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यानी मुकदमे का खर्चा तो उनको देना ही चाहिए, रहने के लिए उनके आवास की व्यवस्था भी करनी चाहिए—यह मेरे सुझाव हैं।

इसमें एक और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इस तरह के जो मुकदमे होते हैं वह प्राइवेट लाइफ से सम्बन्धित होते हैं। इन से की इन कैमरा यानी बन्द कमरे में सुनवाई होती है। यह व्यवस्था बहुत अच्छी है और ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद इस बात की भी व्यवस्था है कि उस मुकदमे से सम्बद्ध किसी भी कागज़ का, किसी भी विवरण का या किसी भी कार्यवाही का अपने मन से कोई प्रकाशन नहीं कर सकता है। यदि कोई करना भी चाहे तो उसे इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। इस बात की व्यवस्था की गई है यदि बिना इजाजत किसी ने ऐसा कर दिया तो उस पर एक हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा असहमत हूँ क्योंकि इसमें कहा गया है एक हजार तक जिसका मतलब है 5, 10, 50 या 500

भी जुर्माना किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस संशोधन में आप जोड़ दें कि कम से कम एक हजार रुपए का जुर्माना और कम से कम तीन महीने की सज़ा उस को मिलनी चाहिए। इस बात को जोड़ देने से यह प्रावधान बहुत व्यापक हो जायेगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा (8) में सरकार का विचार बहुत स्पष्ट नहीं आया है लेकिन इस विषय में मैं स्पष्ट हूँ कि मैरिज बाई रजिस्ट्रेशन ही होनी चाहिए।

इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन 21(1) (अ) जोड़ा है। अभी तक यह था कि पति एक जगह है, पत्नी दूसरी जगह है, अगर पति पत्नी पर मुकदमा करे तो पत्नी को मुकदमे की सुनवाई के लिए पति के यहाँ कोर्ट में जाना होगा। इसी प्रकार से अगर पत्नी पति पर मुकदमा करती है तो पति को पत्नी के यहाँ कोर्ट में सुनवाई के लिए जाना होगा। इसमें बहुत समय और पैसा लगता था। अब यह व्यवस्था की गई है कि जो पहले मुकदमा दायर करेगा, चहे पति हो या पत्नी, वह जहाँ मुकदमा दायर करेगा दूसरे पक्ष को भी वहीं आकर उस मुकदमे की कार्यवाही में हाथ बटाना होगा और फ़ैसला लेना होगा। समय और खर्चा बचाने के लिए यह जो व्यवस्था की गई है वह बड़ी सुन्दर व्यवस्था है। इसी प्रकार से पहले यह नियम था कि मुकदमा दायर होने पर दोनों पक्षों पर प्रुव करने का दायित्व होता था जिसमें बहुत समय लगता था और बत परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि जो पहले विरोध करेगा उसी पर मुकदमा प्रुव करने का दायित्व रहेगा, दूसरे पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा। इससे भी समय की बचत होगी।

कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं अपने निजी विचार रखना चाहता हूँ—इन्होंने इस

विधेयक में प्रावधान किया है कि लड़की की अवस्था जब 18 वर्ष की होगी, तब वह डाइवोर्स के लिए एप्लाई करने की अधिकारी होगी। अभी देश में ऐसी बात नहीं है कि 18 वर्ष और 21 वर्ष की अवस्था में ही शादी होती हो। आज भी कहीं-कहीं पांच वर्ष के बच्ची को डोली पर चढ़ा कर 15 वर्ष के बच्चे के साथ शादी कर दी जाती है। लेकिन इस विधेयक के अनुसार जब लड़के की उम्र 21 वर्ष की होगी तब ही आप उसे डाइवोर्स के लिये एप्लाई करने का अधिकार देंगे—मैं समझता हूँ इस पर मंत्री महोदय को फिर से अवश्य विचार करना चाहिए और दोनों को ही समान अधिकार मिलने चाहिये

मैं यह भी चाहता हूँ कि दो या दो से ज्यादा सन्तान हो गई हों तो किसी भी पक्ष को किसी भी हालत में पुनर्विवाह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। अन्त में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पति और पत्नी के झगड़ों को लेकर जो डाइवोर्स के मुकदमे कोर्ट्स में चलते हैं उनका खर्चा उस प्रान्त की सरकार को वहन करना चाहिये। यह कोई कल्पना की बात नहीं है, वास्तव में आज भी कई प्रान्तों में ऐसी व्यवस्था है, मैं चाहता हूँ कि सारे देश में ऐसी व्यवस्था हो कि दोनों पक्षों के मुकदमे का खर्च वहाँ की सरकार वहन करे।

इन शब्दों के साथ मैं आप को और मंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूँ तथा इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Combatore): Sir, I welcome this Bill which is long overdue. I see the Minister has stated that the recommendations of those amendments were made by the Law Commission in its 59th Report which was submitted by it in March 1974, i.e. two years ago and the Committee on the Status of Women in India submitted its report at the end of December, 1974, ushering in the International Womens Year.

Now, after all this delay when we have those amendments which are to liberalise certain provisions in the Hindu Marriage Act and the Special Marriage Act which have gone through a period of experience in our country, we find suggestions have been made that these should be gone into further in discussion in a Select Committee and so on. I am not in agreement with that proposition. Certainly, here the Minister should listen to us, and, if possible, here and now make certain changes that we would request in order to strengthen what is there in the Bill. Because I find again an atmosphere reminiscent of what happened when we were discussing the Special Marriage Act and the Hindu Marriage Act in the two Houses of Parliament. May I remind you of the very stormy Session that we had to have on one particular point? At that time under the guise of being very progressive, under the guise that we should safeguard age old moral and philosophical values, we found the thin end of the wedge coming in every time. Let us take, for example, one point, namely liberalising this whole procedure of divorce and decreasing also the time limit for applying for divorce. It is very easy to say that one should have a longer time, but we are living to-day in a society that is neither promiscuous nor permissive. We are living in a society where there is a certain hang-over of certain distortions that have developed in our society, distortions of Hindu social customs, and distortions of our national tribal customs also. It is in this background that we are living.

I know, some Members of Parliament have been lobbying with me for the last two days saying, "Why should the girls who have been married at a much younger age than 18 have the right to come and say, 'annul this marriage?'" Sir, there are some States like Rajasthan and M.P. where children are married even at the age of 3 months or 6 months. When the girl reaches the mature age, when she knows what she wants, she is expected to abide



[Shrimati Parvati Krishnan]

by what her parents have decided for her. This is a very strange outlook indeed. I cannot understand this at all. In spite of the Child Marriage Restraint Act and in spite of the other legislations such practices continue. I cannot understand the argument that because such laws are there which are not fully implemented. We should not do anything. I fail to understand that argument at all.

Although this Bill removes certain lacunae there are some other lacunae which are still there. There are other amendments recommended by the Committee on the Status of Women. There are other amendments recommended by the Law Commission which do not find a place here. I hope the Minister will tell us what the position of the Government is regarding such recommendations and how soon we could expect Government to come up with proposals following up these recommendations. Already two years have passed since the reports were submitted. The first point I would like to refer to is Compulsory Registration of marriage on which, the Committee on the Status of Women laid particular stress. I quote:

'The ultimate object should be to recognise registration as the sole and conclusive proof of marriage irrespective of the religious rites under which it was solemnised.'

Then they go on to say:

'We regret that for over a decade no attempt has been made to introduce a legislation to implement the objects of the UN convention.'

This has reference to UN convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage.

Then they say:

'This attitude indicates a casualness and lack of concern on matters affecting the status of women. We recommend that registration should be made compulsory for all marriage-

es. We have a clear precedent for a uniform measure in the Registration of Birth and Deaths Act.'

Even though compulsory registration of all marriages is not forthcoming immediately surely you could have introduced that amendment so far as the Hindu Marriages Act is concerned because you find that today in our country certain distortion are making place in society. You have got too many fake marriages taking place. Now because of censorship of the newspapers these things are not appearing so often. But there are many cases where such fake marriage take place. The girl is then left destitute. Social ostracism takes place. The girl's parents come to grief. The girl and her parent undergo great mental suffering. Such things take place in our society. After all society is society. Compulsory Registration could be one safeguard against such practices.

If the person knows that the marriage has to be compulsorily registered or otherwise he will be penalised such fake marriages will not take place. Even though the Anti-Dowry Bill is there you are not able to enforce it. It is a question of social education; it is a question of changing the mental attitude of people. In our country for instance we have reached a point where we can say that we have eradicated smallpox.

Because of your concerted work in that, you have been able to do that overcoming age old superstition. So, Sir, this would be an implementable provision in the Hindu Marriage Act I therefore wonder why it is, that the Minister, with his progressive outlook, while bringing forward this amending bill before us, did not include this? Then, Sir, there are other allied problems to this also. For instance, we have, in our country, cases of those who get married through the matrimonial advertisements. (*Interruptions*) The point here is that, as you know, there are many cases leading to a great deal of hardship and again the girl suffers. It is partly because there is the same rigid social outlook where the parents

feel that the future of the girl is only marriage and there is no other future for her. What ever may have been said during the International Women's Year, whatever has been said by the Committee on the Status of Women in India, this unfortunate situation continues. Newspapers make money out of the matrimonial advertisements and a whole of racketeers and a whole lot of, anti-social elements, take advantage of this particular position.

Only the other day—unfortunately, I am not able to read Bengali—I was told that there was a news item in one of the Bengali newspapers just a couple of days ago, where there was report of a person who was making it a profession to answer matrimonial a report of advertisements. I think he probably went through 365 or 366 marriages for leap year—he had 366 fathers-in-law houses to go to. I do not know the exact number. The point is that he was utilising these matrimonial advertisements to acquire farther-in-law and dowry by the dozen. Therefore, compulsory registration is something that can overcome this kind of distortion that is developing to-day which did not exist to the same extent some years ago.

Again, why I ask for the compulsory registration to this. I ask for it because there is brain-drain which is also affecting our social life. You find those who have gone abroad have settled down abroad because they had their future is abroad and because they feel have better material prospects there. They come back home because their families say that they have got brides on a platter, not only that but they also have certain material perquisites on a platter. So, they come home, they marry these unsuspecting girls, take them abroad and these brides become cheap domestic servants there. This is because they are not available there for the girls whom they have already acquired. They go abroad and set up their establishments, there, they have their children there and you will find these girls from India who suffer there and either they commit suicide there

or they come back here to be rejected women in our society.

That is why, I say that compulsory registration is a matter of great urgency and I am really sorry that the Minister has not brought it along with this amendment. This is only a drop in the ocean. I can tell you that I know of many cases personally and you find so many of the very sad cases in the papers. What happens is this. In our country, when the people go abroad some change their moral values also and they betray the innocent girls in this manner. That is why I have brought this to the notice of this House and to the Minister. I, think it is not too late even now, I think the House even if you are too busy at the tail end of the session you go on waiving so many of the conventions, waiving so many of the rules. Surely, we could do something in this regard in order to bring protection to the vast hundreds of girls who have been misled in this way and who have been brought to such a state of unhappiness. (*Interruptions*).

Sir, I am appealing to you because the power is in your hands and I appeal to the House . . . . . (*Interruptions*).

SHRI N. K. P. SALVE (Betul):  
What is your suggestion?

SHRIMATI PARVATHI KRISHAN:  
My suggestion is that compulsory registration be introduced in the Hindu Marriage Act also, because the general compulsory registration, as the Minister has told me, is also on the anvil. (*Interruption*).

12.00 hrs.

So, Sir, I have put before you my reasons as to why I think that it is a matter of urgency. It is because these difficulties and hardships are more on the increase rather than not. There are those who are opposing it on various grounds because they have a closed mind. I think in our country today people have come to accept the fact that marriage is a social obligation and, therefore, I do not think that compulsory registration of marriage is going to be such a difficult proposition.

[Shrimati Parvathi Krishnan]

Sir, the next point that I would like to bring to the notice of the House is in regard to the Hindu Marriage Act and the need for raising the age of marriage in the Hindu Marriage Act. This also has been recommended by the Committee on the Status of Women. I quote:

"When the legal age of marriage in case of a female is below the age of discretion she cannot be expected to form an intelligent opinion about her partner in life. The policy of law which permits the marriage of a girl before she is physically and mentally mature is open to serious question . . . . . Therefore, increasing the marriage age of girls to eighteen years is desirable."

Sir, I am in total agreement with the proposition that the Committee has put forward. Sir, to give the argument that "after all marriage these days is taking place at the age of 10 and, therefore, why bother and let us first achieve fifteen" to this my answer would be: let us put for target where it should be. The target should be where a girl is able to judge for herself. Sir, today by and large in our country a practice is growing where the girl is given an opportunity of seeing her future bride-groom. In the past the bride-groom was given the opportunity to view the bride and the bride was made to parade around to starighten a picture on the wall so that prospective bridegroom could view the length of her hair or she was made to sing a song, although she was completely toneless and it was praised. All this kind of tamasha used to go on. Now, we are progressing and, therefore, you find—at least in Delhi—in some of the cafes tables are engaged and if you ask who has reserved the table they will tell you that the prospective bride and the bride groom are going to view each other. Now, when the girl comes and if she does not like the shape of the moustaches etc., and if the mother is kind and the father is liberal—as the Law Minister is—then

the girl is given the choice. We are now in that progressive society. Therefore, to expect a girl of fifteen to be able to say 'yes' or 'no', I think, is asking too much. She is still at the school level and not gone to the college. She is still having her mind moulded. Her mind is not her own mind. Therefore, it is necessary to make a beginning now when an amendment is being brought. There are, of course, those who use the argument of family planning also in this context. That is an additional argument. Family planning is not only to be achieved by this but this amendment will help our girls to feel that they are being treated as individuals and not being taken like sheep to the slaughter house. That is why it is extremely important that the age of marriage should be raised to 18 in the Hindu Marriage Act and brought on par with the Special Marriage Act.

Now, I have got one or two things with regard to the Bill itself.

There is one amendment that I have given which on the fact of it may sound quite absurd. That is where the timelimit for filing the petitions for divorce or nullifying the marriage should be given within one day, instead of one year of the marriage. Here I would like to say that I have given it only to give a jolt to the Minister to make him understand what it is about. I think he appreciates that also because sometime one has to give a sort of jolt to bring home a point. Here again, Sir, take the fake marriage proposition. I have seen the matrimonial advertisements and the 'brain-drain' marriages as I call them. Here if you ask a girl to wait for one year to overcome her humiliation, then you are asking too much of her. I think the Minister should find a place here where he could introduce a proviso or some clause whereby such cases could be dealt with without delay. I admit that they are not ordinary cases but after all, a measure like this, which is a social measure, should take into consideration those

exceptions, because the exceptions are not in ones and twos but they go into hundreds and thousands. That is why I am very particular that this should be taken notice of and some action should be taken to provide for relief in such cases.

With regard to unsound mind, here again I welcome the amendment that has come before this House. But I would like the Minister to tell us what safeguards would be there to see that there is no distortion in this case, that is as far as the women in rural areas, backward areas and ...

**SHRI D. BASUMATARI** (Kokrajhar): You include the tribal areas also.

**SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN**: Please wait for me to finish my sentence. How I can forget tribal areas when you are there. Tribal areas also are concerned because the harassment can really be quite considerable—as far as the mental, unsound mind, etc etc., is concerned—and unless something specific is there as to who should be the certifying authority and how the court will be satisfied, this could lead to a lot of distortion and a lot of abuse. Because if you just have any old practitioner or so called psychiatrist, I am very nervous of these quack psychiatrists who are there throughout the country. Therefore, you must have somebody who is really a recognised specialist or someone who is an expert to go into it. Otherwise the harassment or the various methods like giving drugs, etc etc., will continue where these conditions could be created. Therefore, I think that we should have some safeguard against the abuse of that clause which would operate against the women, mainly. Because we are still in a man's world. It does not make women's world by having a woman Prime Minister and some women Members in Parliament. And you will agree with me when after my speech you have the men who are going to speak on this subject.

Then on page 16, the Law Commission had stated that the petitions of divorce should be disposed of within six months and the appeals within three months. Now from the manner in which the amendment is worded, it could again go into any length of time. It is a sort of, if I may say so, permissive measure. Here is what it says: "and endeavour shall be made to conclude the trial within six months." What endeavour shall be made to conclude the trial within 6 months. The Law Commission was specific that it should be done within six months, not that just the "endeavour" should be made. And similarly with regard to appeal also, "endeavour shall be made"—the word 'dedication' is not there—"an endeavour shall be made to conclude the trial within three months from the date of serving of notice to the appellant."

The Law Commission headed by Mr. Justice Gajendragadkar had gone into all the aspects and made these recommendations because they thought it necessary that these cases should not be pending for that length of time and people should not be kept in suspense for that length of time. When you say you are accepting the recommendations of the Commission the provisions in the Bill should have been exactly the same as recommended.

Time was when during the discussion and voting on the Hindu Marriage Bill and the Special Marriage Bill no whip was issued, so that people could vote freely according to their conscience. The debate in Parliament also went into the old and ancient customs, practices, etc. I am happy that now we have progressed sufficiently to find that the government is not forced to give a free vote but can carry its party with it on a progressive measure. It is a very happy situation indeed, but at the same time, let us not think that just by passing these measures we are going to achieve everything. It is necessary that we should have an approach of changing our social and economic condition

[Srimati Parvathi Krishnan]

which I alone will help to see that implementation is there and the people participate in the implementation.

In conclusion, I would like to remind the House of the words of our ex-President the late Dr. Radhakrishnan:

"We need a revolution in our thought and outlook. From the altar of the past, we should take the living fire and not the dead ashes. Let us remember the past, be alive to the present and create the future with courage in our hearts and faith in ourselves."

I would like to ask the Law Minister to have that faith and accept the suggestions I have made in regard to compulsory registration of marriages and raising the age of marriage.

SHRI, JAGANNATH RAO (Chattrapur): Sir, I rise to support the Bill. Our Hindu society was based on the laws of Manu and conventions and practices. But in 1954 we passed the Special Marriage Act and in 1955 we passed the Hindu Marriage Act. At that time there was a lot of protest in the country, but still we passed that legislation and it was a step forward. In 1929, we passed the Child Marriage Restraint Act abolishing child marriages. Social legislations are necessary for society to advance and develop on modern lines so that antiquated and outmoded concepts and conventions based on religious superstition may go.

For the first time, provision for divorce was made in the Hindu Marriage Act, 1955 and in the Special Marriage Act in 1954. Earlier under the Hindu Law, marriage was considered to be a sacrament and there was no question of divorce. The husband and the wife had to live together till death. We took a step forward when we passed the Special Marriage Act in 1954 and the Hindu Marriage Act in 1955 providing for divorce and other incidental matters connected therewith. Now an attempt is being made to liberalise and streamline the provisions

in both the Acts. If you read the provisions of the Bill, you will find that both the Hindu Marriage Act and Special Marriage Act are sought to be amended on the same lines. In doing so, one major step that has been taken is to reduce the period of three years under section 13 for filing a petition for divorce to one year. Therefore, if a husband and wife feel that they cannot live as husband and wife, why should they be forced to live together? Under Section 13, the period of judicial separation was three years and now, it has been reduced to one year. After one year, it is open to either party to move the court. The cases of mental disorder, epilepsy, etc. have been liberalised. To exercise free will is also included in this Bill. Though the marriage is solemnized religiously in our society, still it is open to an agreement. Both the husband and wife should be happy, this should be the purpose. Where husband and wife do not agree and quarrels go on in the house, what will be the fate of the children? Now a days, most of the children are neglected because of quarrels in the family. So, this provision is wholesome.

A time has come when we should look into the lacunae and defects that have come to notice while implementing this Act. It shall be the duty of the Government to see that lacunae and loopholes are removed so that the wholesome measure is implemented and the results which are contemplated in the Act are achieved.

Mrs. Parvathi Krishnan was against matrimonial advertisements. She had her own reasons. Mr. Ram Gopal Reddy is in favour of matrimonial advertisements. If a person wants to marry, there is no harm if he goes for advertisement. If the matrimonial advertisements are not there, then cheats will come in the field. Why do you want to encourage them? If you are looking for a particular girl it is open to you to go in for advertisement and can get the girl of your choice. Why should anybody object to that?

Apart from that, the period of judicial separation has been reduced to one year. So, this is a whole-some provision. Divorce by consent is also provided in the Act which was not there before.

Another provision has also been made. After the lapse of one year and after the decree is passed, it is open to either of them to marry the divorcee. They can review this and again come back. Therefore, this is a whole-some measure, though it has come a bit late. I wish the age of the marriage should also be raised to 18 and 21 for girls and boys. Perhaps the Minister wants to do it by a separate legislation. I do not know. Therefore, these are the steps which we are taking in the field of social legislation, because propagation of the species is a human instinct, just as it is an animal instinct. Family should be a happy unit of the society. We should, therefore, encourage such happy families. I hope and believe that these measures would go a long way in creating happy families, whose offspring, viz., the children, would be able to grow up well, and grow up to be useful citizens.

श्री शिवा कुभार शास्त्री (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो विवेक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है मेरी दृष्टि से यह बहुत गम्भीरता से मनन करने की अपेक्षा रखता है। मैं प्रथम वक्ता की इस भावना से सर्वथा सहमत हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और इसके प्रत्येक पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाए। कोई प्रथा पुरानी चली आ रही है इसलिए वह षोषपूर्ण है और नया अध्याय जो हम खोलने के लिए जा रहे हैं वह सर्वगुण सम्पन्न होगा यह भावना हमें पहले से ही नहीं बना लेनी चाहिये।

वि और वह इन दो शब्दों से मिल कर विवाह शब्द बना है। वि का अर्थ है विशेष रूप से, अच्छी तरह से और वह का अर्थ है जिम्मेदारी को उठाना, कर्तव्य का पालन

करना। योग्यता के साथ स्त्री पुरुष हृष्य के दायित्वों को समझ कर, उनको अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हों उस शब्द का नाम है विवाह और इस शब्द के साथ एक दूसरा शब्द भी पुराने समय से जुड़ा हुआ चला आ रहा है, 'संस्कार' / 'संस्कार' का अर्थ है किसी काम को ऐसी योग्यता और काबलियत से करना ताकि उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। संस्कार वह चीज है जो मामूली सी चीज को भी बहुत मूल्यवान बना दे और वही संस्कार यदि प्राप्त न हो तो जिस चीज का बहुत विकास होने वाला है वह भी नगण्य होकर रह जाए। जिस समय हम खान से लौहे को निकालते हैं तो वह मिट्टी से मिला हुआ होता है। उसकी कोई कीमत नहीं होती। संस्कार अर्थात् सफाई होने के बाद वह लौह पिंड बन जाता है, उसका कुछ मूल्य ही जाता है। उसके बाद जैसे जैसे कारीगरों के हाथ में उसका संस्कार होता जाता है वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। यही बात मनुष्य की भी है।

मैं इस बिल की जो धाराएँ हैं उन पर विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि उन पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कानून का उद्देश्य और मंशा यह होना चाहिये कि समाज के अन्दर सुधार की प्रवृत्ति जगें। यदि उससे बुराई पनपती है और अपराध की भावना जगती है तो वास्तविक जो उसका उद्देश्य है उसके विपरीत चल रहा है, ऐसा कहा जाएगा। चाहिये तो यह था कि अब तक इस कानून के क्या नतीजे निकले हैं, इसको देखा जाता, इससे समाज में लाभ अधिक हुआ है अथवा हानि हुई है, इसका पर्यालोचन होता। अब मैं एक दूसरा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहां बड़े बड़े विधि-विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। वे इस बात पर विचार करें और इसका समाधान सामने रखें। इस बिल में एक यह भी व्यवस्था है कि यदि स्त्री और पुरुष में से कोई बहुत क्रूर स्वभाव का है और दूसरे के साथ उसका मेल नहीं बैठता तो वह अपने

## [श्री शिव कुमार वास्ती]

साथी का परित्याग कर दूसरे साथी को चुन सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। काम, क्रोध, लोभ-मोह आदि के बशीभूत होकर कभी न कभी उससे गलती हो ही जाती है और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों से हो जाती है। यहाँ पर मैं महत्त्वा साथी की जीवनी को उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने इस चीज को स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है। उन्होंने कहा है कि इब्रान में जब वह वकालत किया करते थे तब जिस मकान में वह रहते थे उसमें कोई नाली नहीं थी जिसमें पेशाब कर दिया जाए तो वह बाहर निकल जाए। बल्कि ढाँचा उसका इस प्रकार का था कि सोने वालों के नजदीक पेशाब करने के लिए बर्तन रख दिया जाता था और रात में यदि किसी को हाजत होती थी तो वह उसमें पेशाब कर लेता था। गांधीजी लिखते हैं कि पेशाब के बर्तन को साफ करने का काम या तो बहुत ही अंतरंग कोई नौकर करता था या वह स्वयं करते थे या उनकी पत्नी करती थी। उस समय तक सामाजिक और मानसिक स्थिति कोई बहुत ज्यादा उन्नत नहीं हुई थी। वह लिखते हैं कि मेरे यहाँ पर कुछ जिन को बिरादरी में छोटा समझते हैं वे लोग भी आते थे, कुछ पंचम जाति के लोग भी आते थे। एक बार ऐसे सज्जन आए जो पंचम जाति के थे और रात को उन्होंने उस बतन में पेशाब किया। पेशाब के बर्तन को उठाने का काम कस्तूरबा कर रही थीं। लेकिन हमारे यहाँ जैसा सामाजिक ढाँचा चला आ रहा था हिन्दू स्त्रियों की बहुत दिनों तक यह भावना रही कि वे झूठे बर्तन दूसरे अपरिचितों के माँजने और उठाने में संकोच करती थीं, फिर पेशाब के बर्तन को उठाने की बात दूर रही। कस्तूरबा नहीं चाहती थीं कि वह उस बर्तन को साफ करे या उठाए। गांधीजी अपनी जगह बैठे देख रहे थे कि वह साफ करती है या नहीं करती है। अन्त में तंग आकर कस्तूरबा ने झुंझला कर दुबोई होकर उस बर्तन को उठाया

और बसने लगी। इस पर गांधीजी लिखते हैं कि मुझे इतने से संतोष नहीं हुआ कि वह दुबोई होकर उस बर्तन को उठाए। बल्कि मेरे लिए संतोष का विषय यह होता कि वह प्रसन्नता से उस बर्तन को उठाती। जिस समय कस्तूरबा उस बर्तन को ले जा रही थी तो गांधीजी लिखते हैं कि मैंने कहा, देखो, इस तरह मेरे घर में तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। उधर कस्तूरबा को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने कहा कि रखो अपने घर को अपने पास, जहाँ मुझे इस प्रकार का काम करना पड़ता है। गांधीजी लिखते हैं कि इस बात को सुन कर मैं ईश्वर को भूल गया। मैंने कस्तूरबा का हाथ पकड़ा और उसको बसीट करके दरवाजे के बाहर निकालना चाहा। जब मैं उसको बसीटता हुआ दरवाजे के नजदीक ले आया उस समय कस्तूरबा ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। और कहा कि तुम को तो शर्म है नहीं, तुम यह नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे कि हिन्दुस्तान का जो लीडर है वह अपनी पत्नी को धक्का देकर बाहर निकाल रहा है, मुझे तो है। यह कर रोने हुए वह नीचे बैठ गई। बैठ कर उसने कहा कि यहाँ पर न मेरा पिता है, न मेरा भाई है, मुझे उनसे इतनी दूर लाकर तुम घर से धक्का दे रहे हो। अब मैं यहाँ कहाँ जाऊँ। गांधीजी ने लिखा है कि कस्तूरबा की बात को सुन कर मैं खोंर तो गया तो भी ऊपर से मैंने अपना रीब बतौर रखा और मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैं अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। विचारशील लोगों के सामने मैं यह प्रश्न रखना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी इस प्रकार मर्यादा का अतिक्रमण कर सकता है, आप के बाहर हो सकता है तो आप कल्पना कर कि उस समय समाज में यदि यह विच्छेद या तलाक की अवस्था होती तो निश्चित रूप से दोनों में से कोई छलांग लगा देता, चाहे वह कस्तूरबा होती और चाहे महात्मा गांधी होते। उस अवस्था में आप बताएँ कि समाज की स्थिति

क्या होती। (अव्यक्त) प्राप सुनते जाएं। मैंने "भारत माता और अमरीकन लेडी", नाम की किताब में पढ़ा है जब मिलेब ईगर नाम की अमरीकन लेडी 23वीं बार पति को तलाक देकर आई, बीस और तीन बार तलाक देकर आई तो अखबार ने: नुमाइन्वीं की भीड़ उसके मकान पर लग गई इस वास्ते कि बहुत तजुर्वा रखने वाली स्त्री है जिसने 23 पत्नियों को तलाक दिया है। प्राप जरा कल्पना करें कि कहां पर जाकर मामला टिकेगा। इसलिए बहुत सी इस प्रकार की चीजें हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। खास तौर पर राजनीतिक नेताओं को मैं कहता हूँ कि इनमें से सी में से पांच आदमी ही हूँगे जो बरेलू तौर पर सुधी होंगे... (अव्यक्त) अच्छे अच्छे आदमियों को मैं जानता हूँ। एक शायर ने चुटकी लेते हुए बहुत अच्छा लिखा है:

लीडर को प्राप कभी गर दूडना चाहें,  
वह पिछले कहीं पहर हुजूर-ए-दिलवर में मिलेगा।

शाम को अहबाब के पैसों की बदौलत,  
होटल में या कहीं पिकचर में मिलेगा।

सुबह को वह बन्दाए अगाराजो मफासिद,  
सर खम किए दरबारे मिनिस्टर में मिलेगा।

रात को हाथ में लिए भात की थाली,  
बीबी से अगड़ता हुआ वह घर में मिलेगा।

अगर कोई इस तरह की बातों पर तलाक देने लगे तो यह तलाक कहां पर जाकर ठहरेगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नोक ब्रॉक तो एक जीवन की आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नीरस हो जायगा।

बी है बजायका शरबत,  
न हो तुर्गी का जज्ज जितमें।

बिसाले पार में भी  
चाहिये तकरार षोड़ी सी।

यह गोंक लोक जिलेके ऊपर यह तलाक की नीजत या रही है यह तो आवश्यक है।

एक और विचार प्राप करें। पतिम और पति का अर्थ है रखा करने वाला। किस चीज की रखा? जहां पत्नी से भूल हो जाए वहां पति उसकी रखा करे और कहे कि प्राप से गलती हो गई है प्रापको ऐसा नहीं करना चाहिये। उसी प्रकार से पति से अगार भूल हो जाती है तो पत्नी उसकी रखा करे। वे एक दूसरे के पुरक होने चाहिये समालोचक नहीं जसी कि इस बिल की धारणा है।

इसके साथ साथ नपुंसकता पर सम्बन्ध विच्छेद। इसका प्रमाण-पत्र कौन देगा? और यह कोई आसान बात है क्या? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। समस्या अन्वय है समाज के सामने इसमें कोई सन्देह नहीं है, पर अगार धर्म से विचार करके इसे पास करेंगे तो उत्तम रहेगा।

12.31 hrs.

[SHRI P. PARTHASARATHY in the Chair]

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली): मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग रात दिन देखते हैं कि इस विषय पर काफी समस्याएँ हैं। मैं माननीय शिव कुमार शास्त्री से सहमत नहीं हूँ कि सभी महिलाएँ एकदम झट से डाइवोर्स के लिये दौड़ेंगी। हमारे देश में यह परम्परा और संस्कृति नहीं है। हमारे देश की महिलाओं की बहुत अच्छी परम्परा है। अगर फिर भी हमारा फर्ज हो जाता है कि जो महिलाएँ और पुरुष तकलीफ में हैं, जिनको डाइवोर्स की जरूरत है उनको सहारा दिया जाय। एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हिन्दू मैरेज ऐक्ट में ही क्या, यह सुविधा सबको मिलनी



### [श्रीमती सुकुल बनर्जी]

चाहिये। आप देखें की मुसलमान की जब शादी होती है तो उनके यहाँ यह कायदा है कि पति मगर तीन बार तलाक, तलाक कह दे तो डाइवोर्स हो जाता है। मगर उस वक्त औरत का एक हक होता है कि जो शादी के वक्त काजी लिखता है जिसके अनुसार छोड़ी जाने वाली महिला का हक हो जाता है कि उसको कितनी जायबाद और पैसा मिलेगा। वह सब लिखा रहता है। इसलिये मुसलमान शादी में महिलाओं का प्रोटेक्शन था, किञ्चिन्तन शादी में भी प्रोटेक्शन था, मगर हिन्दू मैरिज में कोई प्रोटेक्शन नहीं था और लोग छोड़ देते थे। इसीलिये पहले हिन्दू मैरिज ऐक्ट पाम हुआ था एट पार लाने के लिये। अब हमको बहुत लिबरेलाइज कर दिया है, तीन साल से एक साल कर दिया है। बहुत से केसेज में महिलायें ही तकलीफ में होती हैं इसलिये उनको संरक्षण देना हमारा फर्ज हो जाता है।

माननीय दिनेश जोरदर कह रहे थे कि इम्पोटेंट होने पर भी शादी करने देनी चाहिये। मेरे पास एक फूल की तरह कोमल लडकी आयी थी और उसने आ कर कहा कि शादी कर ली और इतना दहेज ले लिया लेकिन अब निकला कि इम्पोटेंट लगता है। हिन्दू मैरिज ऐक्ट में यह लिखना चाहिये कि मेडिकल चैक अप होना चाहिये शादी के पहले। क्योंकि स्त्री को पुत्रार्थ भायां कहते हैं। जत्र इम्पोटेंन्सी होगी तो शादी का क्या मतलब है ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् कह रही थीं कि कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। इसके बारे में भी मेरा तर्जुबा है। मेरा मत है कि हर एक शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। मैं अपनी बात आप को बताती हूँ कि जब मेरी अपनी शादी तय हुई तो हम दोनों एक

महीने पहले रजिस्ट्रेशन के लिये गये, मैंने अपने होने वाले पति से कहा कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। और इन दोनों इस बात पर सहमत थे। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे पिताजी ने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन करा दो तो शादी तो हो जाती है, तो शादी हो जाने के बाद मैं कैसे लडकी को सम्प्रदान करूँ। इसलिये यह सम्भव नहीं है और पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दूंगा। पहले शादी हो जाय फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। तो जब शादी के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिये गये तो वहाँ अधिकारी बोला कि यह तो शादी हो गई है इसलिये अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, चाहे भले ही शादी के बाद हो, क्योंकि इससे काफी महारा महिला को मिलता है। कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन का अच्छा इंतजाम करना चाहिये, एक नींगल डाकुमेंट जरूर बनना चाहिये, चाहे शादी के बाद ही बन जाय। इस में कोई हर्ज नहीं है। और जो शादी हो मबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये।

जैसा कि श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा है कि बहुत से लोग शादी करके बाहर चले जाते हैं, मैं भी यह मानती हूँ, बहुत जगह ऐसा हुआ है। मेरे पास बहुत से केसेज ऐसे हैं कि लोग शादी करके बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं की बीवी को पीछे ले जायेंगे। अभी गुजरात का भी एक केस आया था, एक लडकी मयूरी है, उसकी बहुत अच्छी तरह से शादी हुई लेकिन शादी के बाद पति बाहर चला गया। उसके बाद कुछ सम्पर्क रहे लेकिन उसके बाद उसने खुद पाम-पोर्ट अधारिटी को सबर दे दिया, अमेरिकन इन्वैसी को कह दिया कि बीसा न दिया जाये और उसने उसको छोड़ दिया। उस केस में वह प्राइवेट बिजनेस कर रहा था, इसलिये हम कुछ नहीं कर सके। मगर दूसरे कुछ केसेज में जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट थे, उनके बारे में गवर्नमेंट के सहारे से एक दो केसेज में पासपोर्ट

इम्पाउन्ड कराने की कोशिश की तो शट से वे लोग हिन्दुस्तान में बापल आ गये। बाद में पता चला कि उधर उन्होंने दूसरी शादी की है और वहां बताया भी नहीं कि हिन्दुस्तान में शादी कर चुके हैं। इसलिये जो बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं और ऐसा करते हैं, उनके बारे में यह होना चाहिये कि उनके पास-पोर्ट इम्पाउन्ड हो जायेंगे अगर वह यहां से डायवोर्स करके नहीं जाते हैं। वह वहां जाकर दूसरी शादी करें, हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर उसके लिये पहले डाइवोर्स कम्पलमरी होना चाहिये। जो ऐसा नहीं करे तो उमका पासपोर्ट इम्पाउन्ड हो जाना चाहिये।

इस ऐक्ट में बच्चों के बारे में अच्छी तरह से मेशन नहीं है। बच्चों का क्या होता है कि 5 साल तक डाइवोर्स के बाद वह अपनी मां के पास रहना है। मां और बाप दोनों उमकी देखभाल करते हैं, उसमें आपस में कशमकश चलती है और बहुत झगड़ा होता है। इससे बच्चों का पयूचर खराब हो जाता है। उमके बाद बच्चा आप के पास चला जाता है। इसलिये मैं तो यह कहती हूँ कि क्योंकि बच्चा मा मे पैदा होता है और सीड के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जैसे केरल में एक नेड को हक है सम्पत्ति का क्योंकि बच्चा उमका ही होता है, इसलिये इधर भी बच्चों के बारे में तय होना चाहिये और बच्चा मा को ही भिना चाहिये। उमको लेकर कशमकश नहीं होनी चाहिये।

फ्री लीगल ऐड के बारे में जहां तक सबाल है यह दी जानी चाहिये। हमारे एक इंस्टीट्यूट आफ डेमोक्रेसी एंड सोशलज्म है उममें हम फ्री-लीगल ऐड देते हैं। वहां ज्यादासे-ज्यादा ऐसे केस आते हैं जिसमें महिलाओं को तकलीफ होती है और पाइवॉस के केस में उनको बहुत मुश्किल होती है। उससे सब आयदाद और जेबर वगैरा ले लेते हैं। इस-लिये यह महिलाओं के लिये बहुत अच्छा हुआ। इसको ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने

के लिये जो यह टाइटम कम कर रही है, इसके लिये मैं बहुत खुश हूँ और सहमत हूँ।

दूसरी चीज यह है कि जो पति किमिनल आफेंस करते है या स्मॉलिंग करते हैं, उनकी बीवियों को जबरदस्ती डाइवोर्स करवा देना चाहिये, उसके लिये मैं सहमत नहीं हूँ। उसकी बीबी से क्यों डाइवोर्स करवा देना चाहिये? आप उसके पति को पकड़िये, उसको सजा दीजिये, मगर उसकी बीबी को सजा नहीं देनी चाहिये। जो स्मॉलिंग करते हैं, उनको कड़ी सजा मिले, मगर पति-पत्नी का अलग रिश्ता होता है, उममें इंटरफियर नहीं करना चाहिये।

बाकी मैं इस बात से सहमत हो रही हूँ कि यह बहुत अच्छा हुआ है कि यह हिन्दू मैरिज ऐक्ट (अमेंडमेंट) बिल आया है, यह हमको सहारा देगा और मैं बतलाना चाहती हूँ कि यह ऐक्ट पेश हुआ है, सहारा देने के लिये ही।

18 साल के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी इसमें कर देना चाहिये था, मगर वह इसमें नहीं किया गया है। मैं ला-मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वह इस बिल को तो पास करा लें मगर पीछे एक सिविल कोड भी लायें जिसमें सब चीजें कंबाइन्ड हो जायें और उससे हमारे समाज को सुविधायें हो जायें। इस बात के साथ मैं इसको सपोर्ट करती हूँ।

श्री राध सहाय पांडे (राजलंदगांव) : सभापति महोदय, जब मैं शास्त्री जी का भाषण विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 1976 पर सुन रहा था, तब ऐसा लगा कि इस बिल को वापस कर दिया जाये और संस्कार, विवाह-विधि तथा परम्पराओं की छत्रछाया के नीचे नोक-झोंक, तुर्गी या अनमन को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। उन्होंने यह कहा कि जो बात पुरातन है, वह सर्वथा श्रेष्ठ है, जो नई है, वह अप्राह्य है। इस बात का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। अतीत अनुभव से मंचित होता है।

## [श्री राम सहाय पंडे]

पीछे मुड़कर धर्तीत को देखने से जो अनुभव प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भविष्य को निर्धारित करेंगे।

विवाह की प्रथा बहुत पुरानी नहीं है। राहुल सांख्यायन की खोज के अनुसार विक्रम-प्रथा पांच हजार वर्ष पुरानी है। उससे पहले क्या होता था, इस समय में उसके व्योरे में नहीं जाऊंगा। समाज के नेताओं ने इसको राशनल बनाने, इसमें समीप्य, सान्निध्य, चाह, मोह, त्याग और स्नेह का समावेश करने और भविष्य में निर्माण की कल्पना के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया।

मेरे पास एक गीत की छः पंक्तियां हैं। जब बर-बधु विवाह मंडप में बैठते हैं, तो वे कसे आत्म-विभोर हो उठते हैं :

“हर्ष-उल्लास एक, विकसित सुहाग एक,  
आज एक बंधन से दोनों का राग एक।  
नयनों की कोर एक, बंधन का छोर एक,  
एक बना जीवन, छन और कठ-हार एक।  
होगा सुवास एक, और इतिसहास एक,  
चांद और तारों से भरी हुई रात एक।”

यदि हम विवाह की कल्पना करें, तो सामीप्य और सान्निध्य, स्नेह, प्रेम और त्याग के एक बूलदले का स्मरण हो जाता है। अगर यह तो एक आदर्श है और हमें इस विषय पर विचार करने के लिये व्यवहार और वास्तविकता के धरातल पर उतरना होगा। जब वैवाहिक जीवन में कुंठायें पैदा होती हैं, जब कोई स्त्री अपने पति के अत्याचार का शिकार बनती हो, जब उसके साथ दुर्व्यवहार होता हो और जब उसके भ्रष्टकारों का हनन होता हो, तब क्या इस सर्व-मान्य संसद् में इस प्रकार का बिल आना अस्वाभाविक है ?

आज हम गांधारी के युग में नहीं हैं। अब गांधारी का वृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ और उसको पता चला कि वृतराष्ट्र झंड़े है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर पूरा जीवन उसी प्रकार व्यतीत किया। दूसरी ओर द्रोपदी के पांच पति थे। एक तरफ पातिव्रत्य धर्म था और दूसरी तरफ सीधे-ताघे एडल्ट्री थी।

श्री बी० वी० नाथक (कनारा) : वह एडल्ट्री नहीं थी। द्रोपदी एक वक्त एक ही मर्द के साथ रहती थी।

एक माननीय सदस्य : वह पानिएट्री थी।

श्री राम सहाय पंडे : विवाह स्वयं में एक समझौता है, जो प्रेम, त्याग और सहचर्य की अनुभूति और पारस्परिक आवश्यकता पर आधारित है। पिछली बार विवाह के विषय पर इस सदन में एक बड़ी रोचक बहस हुई थी। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब महिला और पुरुष विवाह-विच्छेद के लिये अदालत में जाते हैं, तो निर्णय में तीन-तीन, पांच पांच साल लग जाते हैं, और इन्हीं पुरुष को अपनी हानि नहीं होती, जितनी कि महिला की होती है, क्योंकि उसकी उम्र 28 वर्ष की होगी तो पांच वर्ष के बाद 33 वर्ष की हो जायेगी। इस पर रोचक बहस हुई थी। हमारे विद्वान् माननीय सदस्य श्री साल्वे ने एक बड़ा खुशनुमा शेर उस समय कहा था और विवाह की कल्पना करते हुये उन्होंने कहा था कि एक जिल्द-बंदी पुस्तक है यह। उन्होंने कहा था :-

एक रिस्ते एक मोहब्बत का टूट जाता है।

देखते देखते शीराजा बिखर जाता है ॥

यह मोहब्बत से जुड़ी हुई कबी अरर बिखर गई तो किताब का हर एक पन्ना जैसे धलन-धनन

अलग हो जाता है इसी तरीके से हो जाता है। इसकी एक वैकल्पिक परिकल्पना के साथ इसका समाधान भी कोई हो सकता है क्या जो कि एक मेंटल टॉर्चर होता है? पहले कोई प्रावधान नहीं था। जैसे पन्द्रह वर्ष अठारह वर्ष से पहले की उम्र में विवाह हो गया तो इसकी इसमें इजाजत दी जाती है कि चूंकि वह विवाह के कार्यक्रम को समझती नहीं थी इसलिए उसको अधिकार है कि वह तलाक ले सके और इस में समय की बात भी आप ने कही है कि जिस दिन मुकदमा दायर हो उस दिन से उसकी मुनवाई हो और छः महीने के अन्दर उसका निर्णय हो जाना चाहिये। यह व्यवस्था और इस प्रकार का विधेयक आना यह बहुत अच्छी बात है इसलिए कि हम इस समाज को उस कुंठा से बचाना चाहते हैं जहां विवाह तो है लेकिन विवाह की परम्पराओं का निर्वाह नहीं है। जहां कष्ट है और जहां महिला समाज को उसका पाल बनना पड़ता है उसकी दूर करने के लिये प्रावधान इसमें दिये गये हैं।

हमें अतीत में बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कल्पनाएँ करनी हैं। समाज स्वस्थ हो, समाज अच्छा हो, समाज आदर्शमय हो इस से कौन ना कर सकता है। पर जो महिलाओं की समाज में स्थिति है उस को क्या करें? दहेज जब नहीं मिलता तो उन कौन किस प्रकार स्वीकार किया जाता है घर में और परदा, जाति पाति, इल्लिटरेसी आदि तमाम की तमाम बुराइयों का शिकार भेरी दृष्टि में महिला समाज ही बलता है। इस विच्छेद के संबंध में भी यही बात है। अगर बच्चा उस की गोद में होता है तो उस बच्चे के भाग्य को भी देखिए। मैं नहीं चाहता कि विच्छेद हो लेकिन विच्छेद होने का प्रावधान आवश्यक होना चाहिए क्योंकि अगर जीवन भाग्य नहीं चल सकता है, उस की गति खींची पड़ गई है, बिलकुल कुंठाओं से जीवन भर गया है तो सम्बन्ध विच्छेद बिलकुल आवश्यक है क्योंकि सुखद जीवन की परिकल्पना

के साथ ऐसी परिकल्पना आवश्यक है जिस से हमारे जीवन की गति आगे जा सके।

**बीवती सावित्री इयाण (भाबना) :**  
 समापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक प्रगति-शील कदम उठाया है। यह मैं मानती हूँ कि इससे समाज के पूरे हिस्से को लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी समाज के बहुत बड़े हिस्से को मिलने वाला है जो हिन्दू मैरिज ऐक्ट और स्पेशल मैरिज ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं। उन्होंने यह असेम्बलिंग कर अधि को घटाया है कोर्ट के अन्दर जब तक मुकदमों के फंसले हों, डाइवोर्स की पेटिशन देने पर भी और उसकी अपील करने पर भी, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। वैसे तो मैं उन लोगों में से हूँ जो विवाह को एक पवित्र संस्कार मानते हैं और न टूटने वाला बन्धन मानते हैं। लेकिन मैं शास्त्रीजी की तरह इस बात में भी विश्वास नहीं करती हूँ कि नोक झोंक चलती रहनी चाहिए और दोनों की जिन्दगी बरबाद होती रहनी चाहिये। इस समाज के अन्दर जहाँ शिक्षा इतनी बढ़ गई हो, जहाँ स्त्रियों में, महिलाओं में अपने अधिकारों को समझने की शक्ति पैदा हो गई हो वहाँ इस प्रकार की विचारधारा के साथ में और दकियानूसी व्यवसाय के पुरुषों के साथ में निम्नाना भी बहुत मुश्किल है इसलिये यह बहुत आवश्यक था और इस संशोधन के अन्दर तो यह आज्ञादी केवल महिलाओं को ही नहीं दी गई बल्कि दोनों को दी गई है, पुरुषों को भी दी गई है। उस बात को शास्त्री जी ने बुरा नहीं कहा कि जो राजा, महाराजा और ताल्लुकदार इस देश में एक-दो नहीं सैकड़ों शादियाँ करते थे और कान्फुबाइन्ड रखते थे। लेकिन एक अमरीकन लेडी-ईंगल जिसने 23 बार शादी कर ली, आलोचना का विषय बन गई। मैं विवाह को एक पवित्र संस्कार मानती हूँ। मनुष्य का बुनियादी अधिकार भी मानती हूँ। जैसे मनुष्य को

## [श्रीमती सावित्री श्याम]

जाना खाने और सोने का अधिकार है, वैसे ही विवाह का भी अधिकार है, लेकिन विवाह का अर्थ जिन्दगी को बरबाद करना हरगिज नहीं है। मंत्री जी ने निःसन्देह विवाह के केषेज की प्रोसोडिग का टाइटिस कम किया है, लेकिन मैं उनसे जानना चाहती हूँ—क्या इस पर निबिल प्रेसिडेंस कोड लागू नहीं होगा? जो अगारि भाई यहाँ प्रकालत करते हैं, बंजानते कि इलेक्शन ला बिलकुल स्पेसिफिक ला है, लेकिन सी० पी० सी० सप्लाई होता है तो उस में चार-पांच साल लग जाते हैं। इसलिये मैंने उनसे इतिफाक नहीं करती कि जो आप ने 6 महीने का पीरियड और अपील के लिये 3 महीने का पीरियड इसमें रखा है—यह मामला इतने पीरियड में निबट जाएगा। अगर सी० पी० सी० सप्लाई होगा तो यह कभी भी इतने समय में समाप्त नहीं होगा। हर चीज एविडेन्स प्रायेगी, एविडेन्स प्रूव करना पड़ेगा, जो की 6 महीने में मुमकिन नहीं है।

मंत्री जी ने स्टेट्मन्स-आफ-बिमान कमेटी की रिपोर्टों का हवाला दिया है। उसकी सिफारिश थी कि स्पेशल कोर्ट्स डाइवोर्स के केषेज को डील करने के लिये बनाये जायें। स्पेशल कोर्ट्स या फेमिली कोर्ट्स का प्रावधान उसमें नहीं था। साधारणतया जो ला-कोर्ट्स देश में हैं, अगर उन्हीं को मुकदमें दिये जाने वाले हैं, जैसा कि ऐक्ट में है, क्योंकि ला-कोर्ट्स के केषेज का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो ये केषेज 6 महीने में खत्म नहीं होंगे और उसकी अपील भी तीन महीने में खत्म होने वाली नहीं है। साथ ही एविडेन्स के ऊपर सी० पी० सी० सप्लाई होगी तो डाइवोर्स किन-किन प्राउन्ड्स पर होता है—हमारे शुक्ला जी बड़े बकील हैं, वे स्वयं समझते हैं कि जब एविडेन्स की जरूरत पड़ेगी तो आप कहां से लायेंगे, एडवोकी के लिये एविडेन्स आप कहां

से लायेंगे, कूएल्टी के लिये एविडेन्स कहां से लायेंगे और इम्पोटेन्सी के लिये एविडेन्स कहां से लायेंगे? ये जो प्राउन्ड्स हैं—एडवोकी, कूएल्टी, इम्पोटेन्सी, अनसाउन्ड माइन्ड, जिन पर डाइवोर्स का प्रार्थना पत्र दिया जायेगा—वह एविडेन्स पर ही निर्भर करेगा और ये एविडेन्स 6 महीने में हाजिर मिलने वाली नहीं हैं। मंत्री जी ने जो पीरियड बटाया है, उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसके लिये प्रावश्यक था कि स्टेट्स आफ-बिमान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिसको आधार मान कर आप चले हैं, स्पेशल कोर्ट्स का इन्तजाम आप कौं करना चाहिये था, फेमिली कोर्ट्स का इन्तजाम करना चाहिये था। मैं यह नहीं कहती कि हिन्दू मैरिज ऐक्ट के अन्दर जो सुधार हुये हैं उनसे लाभ नहीं होगा, जरूर होगा लेकिन जैसा कि मुकुल जी ने और पार्षती कृष्ण जी ने कहा, इसके अन्दर रजिस्ट्रेशन का भी जिक्र करना चाहिये था और ऐज का भी जिक्र आ जाना चाहिये था, डाइवोर्स ऐक्ट में बिना परिवर्तन किये हुये इसका नाम बिलकुल नहीं मिलेगा डाइवोर्स ऐक्ट के सम्बन्ध में अनेक केषेज में ला कोर्ट्स ने जो विवेचन किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी गहराई में जाकर इन्टर प्रोटेशन किया है, एक केषेज में आपकी आज्ञा से साइट करना चाहती हूँ। तीरथ कौर वर्मेज कृपाल सिंह, ए० ग्राई० आर०, 1964, पंजाब। एक पति को शिकायत थी कि उसकी बीबी दूसरी जगह सक्ति करती है, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिये या डाइवोर्स ले लेना चाहिये। तो उस बीबी ने स्वीकार किया कि डाइवोर्स के लिये जाना चाहिये। क्योंकि उसके सामने इकानामिक प्रश्न था। उनके बच्चे भी थे। उस महिला के अन्दर अकल आ गई थी, जागृति पैदा हो गई थी, वह अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगी थी, वह समझने लगी थी कि वह ह्यूमन है, कोई प्रायट्री नहीं है कि जिस तरह से चाहे ट्रीट किया जाय। वह खुद कोर्ट में गई। उस के बाद पंजाब हाई

कोर्ट ने फैसला दिया जो पुण्य के हक में था—

"It was the duty of the wife to remain under the roof and protection and submit evidently to the authority of the husband."

यह 1965 ए० आई आर० पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है।

सभापति महोदय, जब तक इस डाइवोर्स एक्ट में डाइवोर्स के संबंध में जो श्रेणीया दी गई है, जैसे किन किन प्राउंडस पर डाइवोर्स हो सकता है, जब तक इन कलाजेज को बदला नहीं जायेगा, इस हिन्दु मैरिज बिल में संशोधन करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, भले ही हम मुकदमे का समय घटा दें।

यहां पर हिन्दु, मुसलमान और आर्य जातियों का उल्लेख किया गया है—में निवेदन करना चाहती हूँ कि यह किसी एक जाति का सवाल नहीं है यह मानव का सवाल है। आज देश के अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि सब के लिये एक-मा कानून, कामन-मिविल-ला हो। हमारी स्टेटस-आफ-विमेन कमेटी ने भी हम की जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी और हमारे संविधान में भी ऐसा प्राविजन आर्टिकल 44 में किया गया है कि मारे देश के लिये एक कामन सिविल-कोड होना चाहिये। संविधान के दूसरे आर्टिकलज आज आक्सोलीट हो गये हैं, आउट-आफ-डेट हो गये हैं, लेकिन अभी भी आर्टिकल 44 या अन्य ऐसे आर्टिकल हैं जो अनुव्यता के संबंध में हैं, मानवता के संबंध में हैं, उन के ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बना।

आप सभापति महोदय, अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं, इस लिये मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करती हूँ।

**श्रीमती रोजा बेस वॉटे (बम्बई मध्य) :**  
सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि वे इस बिल को इम सेशन में लाये। अभी यहां एक सदस्य बोल रहे थे कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिये रोका जाय और सोच समझ कर दूसरा बिल लाया जाय। मेरे ब्याल से यह बिल यहां इस लिये लाया गया है कि इस के द्वारा औरतों को प्रोटेक्शन दिया जाय, आज मर्दों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है उस में यह बिल कुछ मदद कर सकता है।

13 hrs.

अभी यहां पर शास्त्री जी भाषण दे रहे थे—उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि मामूली झगड़ों के आधार पर कोई भी औरत डाइवोर्स ले सकती है। मैं उन से निवेदन करना चाहती हूँ—कि हमारे समाज की स्थिति आज ऐसी है, जिस में मामूली कारणों से डाइवोर्स लेने के लिये मर्दों के भागने की गुन्जाईश ज्यादा है, औरतों के लिये गुंजाइश नहीं है। यहां ही नहीं, दुनिया के किसी भी भाग में मामूली कारणों से औरतें डाइवोर्स के लिये नहीं जा सकतीं। उन्होंने किसी फ़िल्म एक्ट्रेस का जिक्र किया जिसने 23 बार शादी की और डाइवोर्स लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश की सारी औरतें ऐसी हैं, ऐसा सोचना गलत है मेरे ब्याल से यह बिल औरतों के प्रोटेक्शन के लिये रखा गया है। इस में जो भी सुझाव हमारी बहन पार्वती कृष्णन ; श्रीमती मुकुल बैनर्जी तथा दूसरे सदस्यों

## [श्रीमती रोजा बख्शाडे]

ने दिये हैं, उन पर मंजी सहोदय को गौर करना चाहिये।

खास कर जो कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन आफ़ मैरिज की बात कही गई है, वह बहुत जरूरी है। यह सही बात है कि कई लोग यहाँ की जी पडी लिखी लडकिया होती है उन्हें बाहर ले जाते हैं और वहाँ उन से शादी करते हैं और जब उन से शादी हो जाती है तो उन को घर की नौकरानी जैसा बना देते हैं। यही नहीं बल्कि शादी करने के बाद इस तरह का व्यवहार उन के साथ किया जाता है कि लडकी का नामो-निशान ही नहीं रहता है। ऐसे कौशल मुझे मालूम हैं। एक क्लाज इस एक्ट में है जिस में आप ने कहा है कि वैटिगनर दायर करने के लिये सात साल तक वैटिगनर रहे...

MR. CHAIRMAN: Please continue after lunch.

13.01 hrs

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]  
MARRIAGE LAWS (AMENDMENT)  
BILL—Contd.

श्रीमती रोजा बख्शाडे : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल के समर्थन में बोल रही थी और मैं ने कहा था कि यह बिल जो लाया गया है यह एक अच्छी बात है और कोई जरूरत नहीं है कि इस के बारे में और थोड़ा सोच विचार हम करें। जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने यहाँ कहा कि यह बिल और थोड़ी

देर के लिये रोक जा सकता था, इस पर कुछ सोच विचार होना चाहिये था क्योंकि इस में शाब्द डाइवोर्स को बहुत भासान बनाया जा रहा है और कौटेल डाइवोर्स केसेड से घर जायेंगे, मेरा ख्याल है कि यह बिल इसलिये लाया गया है ताकि हमारे देश में औरतों की रक्षा हो जाय, उन को प्रोटेक्ट किया जाये। इसलिये इस बिल का इस्तेमाल होना चाहिये और जल्दी से जल्दी प्रमल में साना चाहिये।

हम ने देखा है कि इस देश में मर्दों को कोई तकलीफ नहीं होती है वह औरतों पर जल्म करते हैं और उन को सताते हैं, बगैर डाइवोर्स दिये भाग जाते हैं। औरतों के ऊपर जो प्रत्याचार करते हैं इस के खिलाफ़ यह बिल लाया गया है। यहाँ माननीय सदस्य ने किसी एक औरत का नाम लिया कि उस ने 23 बार डाइवोर्स लिया। मेरा कहना है कि एक औरत दुनिया भर की औरत नहीं है। बैसे तो हम कहेंगे कि ऐसे कितने मर्द हैं जो पता नहीं बगैर शादी किये क्या क्या करते हैं। यहाँ आप को ऐसे मर्द मिलेंगे जो शादी भी नहीं करते हैं, लेकिन कितनी ही औरतों के पीछे भागते रहते हैं। तो उस अमरीकन औरत ने कम से कम डाइवोर्स तो लिया।

श्रीमती पार्वती दृष्णन ने कहा कि शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ, आप ने इस प्रमेंडमेंट में कहा है कि डाइवोर्स कब किया जा सकता है। हिन्दु मैरिज ऐक्ट के 19 वें क्लाज में, जो सबस्टीट्यूशन हो रहा है, उस में कहा गया है कि 7 साल तक अगर एक मर्द कहा गया है, किस देश में रह रहा है, वह जिन्दा है या मरा है, यह सात साल तक औरत देखे और उस के बाद ही उस को डाइवोर्स की इजाजत मिले या डाइवोर्स ले सके। मैं ने खुद देखा है, एक शादी में खुद

बई थी, लडकी की अगुछी भली शादी हो गयी दूसरे महीने वह मर्द कहां भाम गया इसी देश में पता नहीं। लेकिन 7 साल तक उस लडकी को रकना पडा और 7 साल बाद उस को डाइवोर्स मिला और तब दूसरी शादी की। शादी के बाद हमारे कितने ही लोग विदेश जाते हैं हैं और पत्नी को यहां छोड जाते हैं वहां जा कर दूसरी शादी तक कर लेते हैं वह लडकी को सालों तक लिखने भी नहीं है। ऐसी हालत में वह लडकी बूडी होने तक रुकी रहें और बाद में वह शादी करे, यह बहुत गलत बात है। मैं प्रार्थना करती हूं मंत्री महोदय से कि इस को बदल दिया जाय 7 साल नहीं 1 साल का वक्त काफी है जांच करने के लिये कि वह शक्स शादी करने के बाद वापस आता है या पत्नी को ले कर आता है। यह जो ब्रेव ड्रैन हो रहा हैं, जैसा श्रीमती पारवती कृष्णन ने कहा, इस के खिलाफ कुछ न कुछ हम को इतजाम करना चाहिये और मैं ने कहा है कि 7 साल की जगह 1 साल रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि शादी की जो एज लिमिट है यह 18 साल जहर होनी चाहिये हमारे हिन्दू मैरिज एक्ट में यह अगुछा क्रिया है कि 15 साल की उम्र में शादी होने के बाद जब यह 18 साल की हो जाये तब डाइवोर्स ले सकती है। उस की शादी पहले क्यों हो जाती है ' हम ऐसा क्यों न करे कि 18 साल की उम्र में ही जब वह सोचने की उम्र में हो उस की शादी हो? नहीं तो हमारा हिन्दु धर्म और संस्कृति ऐसी है कि इसमें लडकियों को शूद से पढ़ाया जाता है कि एक बार तुम्हारी जिन्दगी में शादी हुई है और उस के बाद कुछ नहीं कर सकती हो। पति की सेवा करती रहो। वह

पति की सेवा करती रहेगी। 18 साल के बाद वह चाहे तो डाइवोर्स कर ले, वह कमी नहीं करेगी, बड़ा कठिन है।

यह जो कानून हम ला रहे हैं, इसे लाने के बावजूद भी मैं यह कह रही हूं कि हमारी औरतें बहुत मुश्किल से इस डाइवोर्स के कानन का इस्तेमाल कर सकेगी। क्योंकि भारतीय संस्कृति ने हमारी औरतों को यहीं सिखा रखा है कि गाय की तरह अपने पति के पीछे जाओं और जसा वह कहे, करते जाओं, चुपचाप चारदीवारी में बैठी रहो। इस लिये यह हुआ कि जहां कोई नौकरी करने लगी उस को कहा कि तूम चार दीवारी में रहो अगर नहीं रहना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, तो गैट आउट। उसे भी गैट आउट कहना चाहिये या लेकिन वह नहीं कह सकती है, क्योंकि वह ऐसी संस्कृति में बड़ी हुई है जहां ऐसा नहीं होता है। तो डाइवोर्स के लिये जो 18 साल एज लिमिट किया यह अगुछी बात है लेकिन मैं कहती हूं कि शादी के लिये भी 18 साल एज लिमिट बड़ा देनी चाहिये।

बच्चों के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं। डाइवोर्स के बाद बच्चा छोटा हो तो 5 साल तक मां के पास रहे और बड़ा हो जाये तो पिताजी महाशय उसको ले जा सकते हैं। 5 साल तक देखभाल मां करेगी, उसको बड़ा करेगी, उसकी बीमारी और सब कुछ देखेगी और बाव में पिता महाशय को अपने लैजिडिमेट पिड-दान के लिये लड़का चाहिए, इसलिये उसको वापस ले जाते हैं, क्योंकि उसके लिये उसकी जरूरत होती है, यह गलत है। औरतों को यह हक होना चाहिए कि अगर वह चाहती है, कोई भी मां यह चाहेगी ही कि बच्चा उसके पास रहे, तो वह कंफलशन होना चाहिए कि बच्चा औरत के पास



### [ श्रीमतां राजा बक्षपाडे ]

ही रहेगा और बाप उन बच्चों की पढ़ाई वगैरा का खर्च करे। लेकिन यह भ्रंशपन है, गलत है कि बच्चे को मां पाले और बाद में बाप उसे अपने पास ले जाये। इसके लिये मेरा कहना यह है कि बच्चा मा के पास ही रहे, इसके लिये कोई प्रोटेक्शन का अहंकार है, नहीं तो होता यह है कि छोटेपन में पूरी क्लिमेदारी मा को उठानी पड़नी है और बाद में उसको बाप ले जाता है। यह गलत बात है। मंत्री महोदय को इसके बारे में सोचना चाहिए।

आपने कहा है कि 6 महीने में तो इन केसेज का फ़ैमला होना चाहिए। मैं कहनी हू कि कुछ कंप्लेशन किया जाय, कम-से-कम और ज्यादा-से-ज्यादा यह नहीं। डाइवोर्स के केसेज के लिये स्पेशल कोर्ट्स बैठाने चाहिये। नहीं तो आज क्या होता है कि डाइवोर्स केस किसी ने डाल दिया, सालों तक उसकी एबीडेंस चलती जा रही है और फिर कोई कहता है कि उनका म्यूचुअल दोबारा मेल हो जाये, इसके लिये टाइम बरबाद होता है, तो कुछ हर्ष नहीं है। मेरा कहना है कि कोई भी औरत अगर डाइवोर्स के लिये जाती है तो पूरी तरह मोच-विचार कर जाती है, कोई ऐसा नहीं चाहती कि दूसरे दिन डाइवोर्स ले और फिर शादी करे, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसीलिये मेरा कहना है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिये और यह कहना चाहिए कि हम तरह के केसेज को ज्यादा-से-ज्यादा 6 महीने से हल हो जाना चाहिए।

मुझे मालूम है कि यह जो ला हम बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल रूल एरियाज की औरत और भदं बहुत कम करेंगे। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वही इसका इस्तेमाल ज्यादा कर पायेंगे। उसका इस्तेमाल सभी लोग कर पायेंगे जब उन्हें मालूम हो कि यह ला क्या है, इसमें औरतों को कोण से

हक मिलने वाले हैं, उनके लिये क्या मिलने वाला है। हमारी सोशल आर्गनाइजेशन को यह बताना चाहिए कि इसमें हमारी औरतों और भवों के क्या राइट्स और रेस्पॉसिबिलिटीज हैं। ट्राइबल में डाइवोर्स कितना आसान है। लेकिन क्या वे खोर रोखाना डाइवोर्स लेते हैं?—नहीं। उनकी पचायत बैठती है, वह देखती है कि तों डाइवोर्स चाहते हैं, और तब वह फ़सला करती है कि चला, डाइवोर्स हो गया। हमारी सोसायटी पढ़े-लिखे लोगों की है। उसमें डाइवोर्स केसिज इतनी आसानी से नहीं लाये जाते हैं। इस लिए यह जरूरी है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाये और इन केसिज का फ़ैमला जल्दी से जल्दी किया जाये।

इस बिल में कहा गया है कि सात साल तक किसी आदमी का कोई पता न लगने पर पेटिशन बी जा सकती है। मैं दोबारा कहूंगी कि इस पीरियड को सात साल के बजाये एक साल कर दिया जाये।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस बारे में और भी मोच-विचार करने के बाद यह कानून पास किया जाये। मैं इसमें महमत नहीं हू। यह जो बिल लाया गया है, यह बहुत अच्छा है। हम ने इसके बारे में जो सुझाव दिये हैं, मंत्री महोदय उन पर मोच-विचार करें।

मैं इस बिल का पूरा समर्थन करती हूँ।

सरदार स्वर्ण सिंह लोधी (जमशेदपुर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हू। इस बिल को मौजूदा जमाने के लिहाज से लाया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस पर बोलने का मौका मिला है। जब बीस साल पहले इस हाउस में हिन्दू मैरिज एक्ट पर गर्मा-गर्म बहस हो रही थी, तो मैं पब्लिक वैंचरी में बैठा

सुन रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी उस बहस में हिस्सा लूं। कुदरत का खेल है कि अ.प्र. में इस बहस में हिस्सा ले रहा हूँ।

मैं मिनिस्टर साहब को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह उन पर विचार करेंगे, और अगर मुनासिब समझेंगे, तो कुछ सालों के बाद उन के मुताबिक एमेंडमेंट करेंगे।

ड. इबोर्स, तलाक, का कानून पति-पत्नी दोनों पर लागू होता है। तलक की नीबत घर में बहुत खतरनाक चीजें पर आती है। पुराने जमाने में लोग तलाक के नाम से ही चौक उठने थे। लेकिन आज एजुकेशन बढ़ रही है। हम वैस्टर्न कन्ट्रीज में जाते हैं और वहा के हालात को देखने हैं। इस लिए वक्त के मुताबिक इस एक्ट को एमेंड करना बहुत जरूरी है।

तलक कई वजहों से होते हैं। जैसे, हमारे विभाग में गर्दी के वक्त तलक का सवाल होता है। फिर डावरी का सवाल भी आता है। कई सठ, सतर साल के बड़े आदमी बीस साल की लकड़ी से शादी करते हैं। गरीबी भी इस का एक कारण है। गलती की वजह से भी तलाक होते हैं। जब तक हम इन बातों की गहराई में जा कर लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं, तब तक तलाकों की तादाद बढ़नी ही जायेगी।

जमशेदपुर में कई लोग शादी करने के लिए अपना रिलिजन या जात बदल लेते हैं। वहां एक क्रिस्चियन जिस कम्युनिटी या सेक्ट को बिलिंग करता था, उस में डाइवोर्स की इजाजत नहीं है। उस ने अपना रिलिजन बदल लिया और उस के साथ साथ उसी कम्युनिटी में फिर शादी कर ली। कई हिन्दुओं ने मुसलमान धारतों के साथ और कई मुसलमानों ने

हिन्दू धारतों के साथ शादी की है। इस तरह शादी के लिए जो रिलिजन बदला जाता है और शादी के बाद फिर रिलिजन बदल लिया जाता है, मिनिस्टर साहब को उस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इम्पोर्टेस और दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर के वह एमेंडमेंट कर दें कि इस बारे में डाक्टर का सर्टिफिकेट लाया जाये।

जितने जितने कनूत बनते जाये उतने ही उतने आप को उनके अन्दर और गहराई से जाना पड़ेगा। मेरा क्याल है कि अगर सर्टिफिकेट डाक्टर का लए तो बीमारी वाला सवाल बहुत दूर तक हल हो सकता है।

यह जो सिम्प्लीफाई किया है इस को यह बहुत ठीक किया है जैसे कि डाइवोर्स जो हांगा वह सिगिल ऐक्ट अफ एडवर्टी पर हो जायगा। मैं तो कहता हूँ कि इस को और सिम्प्लीफाई कीजिए। इस को स्पोर्टिंग तक ले आइए जिम को खुरीटा भरना कहते हैं, वेस्टर्न कन्ट्रीज में औरतें स्पोर्टिंग करने पर भी हर्सबैंड को डाइवोर्स कर देती हैं। तो इस को और सिम्प्लीफाई कीजिए। वेस्टर्न कन्ट्रीज में यह हो रहा है। बाकी जो डेजेंट करते हैं, हर्सबैंड को छोड़ कर चले जाते हैं, यह सिर्फ इसलिए होता है ज्यादा तीर पर कि जिम लड़की की शादी हुई होती है जिस में यह कहा होता है कि शादी पर यह यह चीज देंगे जिससे डावरी समाप्त वह नहीं मिलनी तो उस गम्मे के मारे वह उम लड़की को छोड़ कर हट जाते हैं, दो दो, तीन तीन और दस दस माल तक लड़की को ले नहीं जाते हैं। इस चीज के बारे में यह जो आप ने टाइम रखा है मैं तो कहूंगा कि इस को छ. महीने रखिए, छ. महीने तक हर्सबैंड छोड़ दे तो वह पेट्रीशन दे सके। इस के टाइम को कम किया जाय तो अच्छा है।

### [सरकार स्वयं सिंह लोधी]

बैसे यू के में और और फारेन कन्टीन में भी मैंने सुना है कि बड़ा ट्रायल पीरिड होती हैं, लव अफेयर्स भी, होते हैं। बायकल हम लोग उन की नकल कर रहे हैं।

We are following some of these western countries in these things.

तो या तो आप अपनी हिन्दुस्तानी सभ्यता रखिए या मिलावट वाला काम है तो आप खुली छूट दीजिए। ... (अवधान) ...

एडल्ट्री की बात है। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें कौन कितनी दूर तक इस मामले में हैं। मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में 75 परसेंट क्या 80-85 परसेंट तक को डाइवोर्स करना पड़ेगा अगर सिंगल ऐक्ट पर आ जायें। इस का कोई हिसाब नहीं है एडल्ट्री का। अब स्मगलर्स हैं, आप ही की स्टेट गुजरात में बे क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, बीबी बना लेते हैं, स्मगलिंग का काम किया और डाइवोर्स दे दिया। कानूनन अलग और फिर रात को कट्टे। इमी तरह से डाइवोर्स हो रहे हैं, जैसे जो औरत और मद दोनों काम करने हैं, इनकम टैक्स के लिए आप ने कहा कि दोनों की इनकम को जोड़ कर इनकम टैक्स लयेगा। तो दिखाने के लिए बे डाइवोर्स कर के अलग अलग हो जाते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए और रात को फिर दे शेर दि सेम बैड। तो इन चीजों को आप देखिए। यह सोचने की बातें हैं।

इसी तरह इन्लीगल बच्चों का सवाल है। कई लोग तो धोखे से शादी करते हैं, लड़की प्रपोजेट है और उस की शादी धोखे से कहीं दूर ले जा कर कर दी तो उस में दिक्कत आ जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन को कोई नहीं मानता कि उस के हैं। वह कहती है कि मैं नहीं रखी, वह कहते हैं कि

मैं नहीं रखी। इस तरह भी कई भ्रष्ट होता है, आप देखिए थोड़ा कर। दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए इस चीज का भी आप को ख्याल रखना चाहिए कि इस के बारे में क्या करना है ?

इसी तरह जूरिस्टिक्शन की बात आती है। अक्सर ऐसा होता है कि शादी यहाँ हुई हल्बीड चला गया यू के और लड़की चली गई कौनाडा। दोनों को डाइवोर्स करना है तो किस जगह आ कर डाइवोर्स की पेटिशन देंगे। ऐसे केसेज में जूरिस्टिक्शन का सवाल बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने लोग बाहर गए हैं उन के तलाक में यह बड़ी भारी मुश्किल है। तो इस के लिए बिलकुल साफ कह दीजिए कि हिन्दुस्तान में आ कर तलाक करें। इस को भी देखने की आवश्यकता है।

जिन बच्चों को डिसग्रोन कर देते हैं उन के लिए चील्ड्रेन होमस बनाइए। ऐसे बच्चे हैं जिन को दोनों में से कोई रखना नहीं चाहता धर्म के बारे में क्योंकि खानदान का नाम खराब होता है। उस में अगर लड़कियाँ हैं तो बहुत सी तो प्रोसेज बन जाती है। इसलिए चील्ड्रेन होमस उन के लिए बनाइए सब जगह सेंट्रल प्लेसज में।

बाकी इंटर कास्ट मैरिज की बात है। मुझे पता है और सभी को पता होगा कि दो साल पहले यहाँ पर एक सवाल आया था कि जब में एक शेडयूलड कास्ट ने शादी कर ली एक टीचर के साथ तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया।

श्री बरबारा सिंह (होशियारपुर) :  
बहु दोनों नौकरी में हैं।

सरकार स्वयं सिंह लोधी : मैंने भी अपनी स्पीच में कहा था कि उनको नौकरी में लेना चाहिए। तो इंटरकास्ट मैरिज

को एनकरेज करना चाहिए। इन अल्पाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**श्री मुखर्जी जी (पाली) :** उपाध्यक्ष जी, समय कम है इसलिए मैं दो तीन बातें ही कहना चाहता हूँ। मेहरबानी करके इसको बहुत सीरियली सीखा जाये। ला, जस्टिस और पालिटिक्स पर एक किताब है जिसका एक छोटा सा कोटेशन देना चाहता हूँ :

“One law for the Lion and the Ox is oppression.”

देश में कानून बनते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग कानून बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग गांवों में रहते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहाँ पर क्या होता है? आज भी छोटे-छोटे बच्चों की शादियाँ होती हैं। चाइल्ड मरिज ऐक्ट लागू है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता है। केवल किताब पर ही आपका कानून है। लाखों लोग गरीबी के कारण, जब उनके यहाँ कोई घर जाता है तो उस समय एक तीर से दो निशाने करते हैं, उम्र समय अपने छोटे-छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं। इस तरह से उनको खर्च से मुक्ति मिल जाती है। सेकेंड मरिज या गौना 18 साल के बाद होता है। लेकिन आपने इसमें क्या कहा है? सारे माननीय सदस्य जो इस समय हाउस में बैठे हैं वह गम्भीरता से सीचें कि इसमें गरीब तो फंस जायेगा और धनवानों का कोई नुकसान नहीं होगा। जिस औरत ने कभी पति का मुँह न देखा हो, जिसकी शादी उसकी माँ ने पाली में करा दी हुई वह 15 वर्ष की लड़की होती है, कानून के अनुसार वह बालिग नहीं हुई लेकिन आप उसको कहते हैं कि शादी छोड़ सकती है बिना अपने हस्ताक्षर के घर गए हुए—यह कैसा कानून है ?

“(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized before she attained the age of fifteen years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of eighteen years.”

18 साल के बाद आदमी में या औरत में सभ्य भाती है, उसके बाद आप उसको अधिकार दीजिए कि डाइवोर्स कर सके। आप कह रहे हैं कि 15-18 के बीच में जिसने अपने पति का मुँह न देखा हो, जो पति और पत्नी साथ न रहे हों, जिन्होंने मरिज लाइफ लीड न की हा वह भी छोड़ने के लिए कह सकते हैं। गांवों में गरीबी प्रभिराप है। आज भी गरीब लोग अपनी लड़कियों की शादी इसलिए करते हैं कि कई जगह वह रुपया लेते हैं। इसके बाद 15 साल की लड़की होगी। ता उससे वह फिर दरखवास्त दिलवा देंगे और दूसरे आदमी से शादी करवा देंगे। गरीब आदमी लड़की की शादी से ही कमाना चाहेंगे। आपके डाइवोर्स के कानून की मंशा तो कुछ और है। वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद उसका सवाल होता है। हमारे मोखी साहब जैसे जो पत्नी भक्त है या हमारे बसुमतारी साहब या धामनकर साहब जिनकी महिलायें पति भक्त हैं जो अपने पतियों को प्राणघार समझती हैं उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा ता उनको है जिनका पैर बाहर पड़ गया। जिनके पैर घर में रहते हैं वह तो ठीक है लेकिन एक बार आपका पैर बाहर पड़ा नहीं कि आप फंसे नहीं। मेरा मतलब एडल्ट्री से है, किसी आदमी का पैर बाहर पड़ जाये, गलती इन्सान से होती है, हमारे संख्या साहब तो खुले शब्दों में कह रहे थे, हमारे नवल किणोर जी दुनिया भर में घूमते हैं—अगर कोई गलती कर बैठे तो वे इस देश का शिकार हो जायेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ—आप देखिये इसमें क्या लिखा है—जो इस में लिखा है, वह बहुत बड़ी बात है, मैं तो यह चाहता

### [श्री मूलचन्द्र डासा]

या कि एक दफा एहल्टी के मामले में यह कानून उन लोगों के लिये लागू न किया जाय । जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो शादी के बाद पति-पत्नि के रूप में कभी साथ नहीं रहे जो एक दूसरे का जानने भी नहीं, वे इस कानून के द्वारा एक दूसरे को छोड़ सकेंगे—यह कैसा कानून है ? आप के कानून की मशा यह थी कि जहाँ वैवाहिक जीवन सुखी न हो—मान लीजिये हमारे हुंसदा साहब हैं उन का पत्नी से झगडा हो जाये, तब तो ठीक है लेकिन जहाँ एक-दूसरे के साथ रहे हो नहीं, वहाँ हम को लागू करना कहा तक सुनामिब है. . . . .

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich):  
Sir, I must rise in protest; he is invading the domestic life of money Hon. Members.

श्री मूलचन्द्र डासा मेरा मतलब आप समझ गये—मेरा यही मतलब है कि जो पुराने हैं, समझदार हैं, वहाँ झगडा होने का खतरा ही नहीं है । खतरा तो वहाँ है—जिन की आदत पर बाहर रखने की है ।

मैं कह रहा था—आप जरा चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखिये—इम में लिखा है—

A child means a person, if a male under 18 years of age and, if a female, under 15 years of age.

अब हम में आप रहोबदल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो—आप ने ऐसा निर्णय किया है, फेमिली प्लानिंग को दृष्टि में रख कर और दूसरे कारणों से—लेकिन मैंने जो अमेण्डमेन्ट दिया है, उस में कहा है कि जब तक हस्वैण्ड और वाइफ दो साल तक साथ न रहे हों, उन को रिप्यूडिएट

करने का, त्याग करने का अधिकार न दिया जाये ।

दूसरी बात—आप ने म्यूचुअल कन्सेन्ट से फ्रीसला होने के बाद बैटिंग पीरियड 1 साल रखा है, जिस की सब मेम्बरों ने सराहना भी की है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ—यह एक साल का मेन्टल-टेन्शन, मानसिक तनाव भी रखने की क्या जरूरत है, मेरी दृष्टि में यह ठीक नहीं है । इसलिये मैंने जो संशोधन दिया है, मेहरबानी कर के आप उन को मान लीजिये ।

तीसरी बात—आप ने कहा है कि मुकदमे की प्रोसीडरिंग इन-कैमरा होगी और उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी और यदि होगी तो कोर्ट की आज्ञा से होगी । मैं पूछता हूँ—कोर्ट यह पर-मीशन कैसे देगी ? एक तरफ आप यह भी चाहते हैं कि पुरुषेशन से भांभला तय हो जाए और उनको भी उसको तय करने का मौका दिया जाय, तो फिर पब्लिसिटी में तो भांभला और उजादा खराब होगा । समय बहुत कम है—इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए, मैंने अपनी अमेण्डमेन्ट्स दी हैं, जब मौका आयेगा तो मैं उन अमेण्डमेन्ट्स पर बोलूंगा ।

श्री श्री० एन० तिवारी (गोपालगज):  
उपाध्यक्ष जी, मैं गोखले माहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कानून में बृद्धि हो रही है और रोज रोज कानून बन रहे हैं, उन में एक कानून की कमी की है और वो कानूनों को मिला कर एक कानून उन्होंने बनाया है । इसलिए मैं उन को बधाई देना चाहता हूँ । वे हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 और स्वैणल मैरिज एक्ट, 1954 दोनों को मिला कर सशोधित हि मैरिज लाब (एम्बेडमेंट) बिल, 1976 इस सदन में लाए हैं ।

यह सभी जानते हैं कि जब से विवाह प्रथा कायम हुई और विवाह की पद्धति

थानी, तब से कोई न कोई नियम रहा है जिस से विवाह बाइब होता रहा है। 1953 में हिन्दू मैरिज एक्ट आया और 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था लेकिन उस के पहले भी इस देश में कानून था और नियम था, जिस से विवाह होते थे। पहले मनु का विधान था और बाद में समय और काल के मुताबिक उस में परिवर्तन होता गया और उस के अनुसार विवाह होते रहे। मैं गोखले साहब को बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं में भी डाइबोर्स की पद्धति दो तीन ऊपर की जातियों को छोड़ कर सभी जातियों में थी और आज जो इस सम्बन्ध में कानून आया है उस में बहुत ज्यादा पेचीदगी है जबकि पहले डाइबोर्स में कोई झंझट नहीं होता था और न ही कोई खर्च होता था। आज इस की प्रक्रिया इतनी लम्बी हो गई है कि देहात के लोग तबाह हो जाएंगे। इसलिए मैं श्रीमती रोजा देशपांडे से सहमत हूँ कि यह कानून रूल एरियाज में ज्यादा चल नहीं सकता है। यह कानून केवल 8, 10 परसेन्ट लोगों के लिए ही होगा क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गये उन में एक रोग और पैदा होता गया जिसको "प्रेम" रोग कहते हैं। पहले तो एरेन्ज्ड मैरिज होती थी लेकिन अब यह प्रेम रोग चल पड़ा है। कितनी ही कारगर दवा हो, उस का री-एक्शन होता है और इस तरह से यह एक प्रेम रोग नये रिएक्शन के रूप में पैदा हो गया है। पहले मनु और दूसरे जो हमारे यहां विद्वान लोग थे, वे इस बात को नहीं जानते थे कि कोई प्रेम रोग होता है और कोई कानून इसके लिए नहीं बना था।

अब आप जो 1955 के कानून के बाद थे एमेन्डमेंट्स लाए हैं, देखना यह है कि इन में कोई वृद्धि रूठ गई है या नहीं, इस में कहीं डिस्क्रिमीनेशन है या नहीं। यह ठीक है कि यह जो कानून बन रहा है केवल 8 या 10 परसेन्ट लोगों के लिए ही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कहा जाता है कि जातियों का रजिस्ट्रेशन

कम्पलसरी हो, मैं समझता हूँ कि प्रेडिकेबिल नहीं है। 10 परसेन्ट लोगों को छोड़ कर देहातों में कोई इस की केयर नहीं करेगा और शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। रजिस्ट्रेशन हो लेकिन यह प्रोपगण्ड होना चाहिए, कम्पलसरी नहीं होना चाहिए। अगर इस को आप कम्पलसरी बनाइएगा, तो इस के बहुत ज्यादा ब्रीचेज होंगे या नाहक पुलिस लोगों को दिक् करेगी क्योंकि देहात के लोग इस मूड में नहीं हैं कि वे रजिस्ट्रेशन कराएं और 80, 85 प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। इसलिए इन 8, 10 परसेन्ट लोगों के लिए आप क्यों 85, 90 परसेन्ट लोगों को बाध्य करते हैं और मेरी समझ में यह उचित नहीं होगा।

आप 20 वर्षों के अनुभव के बाद यह एमेन्डमेंट लाए हैं, लेकिन मुझे इस में एक खामी दिखाई देती है। कल मैंने और श्री विष्णु मिश्र ने ला मिनिस्टर साहब से बात की थी और उन को बताया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी और हिन्दू मैरिज एक्ट में भी एक लेक्यूना है जिन में पुरुष को सफ़र करना पड़ेगा और औरतों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मैंने उन से कहा था कि आप इस को दूर कीजिए और मैं एमेन्डमेंट देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा था कि ऐसी बात नहीं है और वह लेक्यूना ठीक हो गया है लेकिन फिर जब रात को मैंने इस को पढ़ा और सुबह इस को पढ़ा, तो मालूम हुआ कि डिस्क्रिपीसी है और उस को आप को सुधारना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कानून बनाने में एक पार्टनर को सुविधा हो जाए और दूसरे को असुविधा हो। यह उचित नहीं होगा। इसके लिए आप को इस बिल को अगर फिर राज्य सभा में ले जाना पड़े, तो ले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्वीकर साहब से इजाजत दिलवा दें ताकि मैं इस एमेन्डमेंट को अभी ला सकूँ।

[श्री डी० एन० तिवारी]

एमेंडमेंट दू सेशन 13 साइज 40 से साइज 45 तक आपने दिया है :

“that in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and maintenance Act, 1956, or in a proceeding under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (or under the corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898), a decree or order, as ‘he case may be, has been passed against the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart and that since the passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been resumed for one year or upwards”

इस केस में वाइफ डाइवोर्स की एप्लीकेशन दे सकती है लेकिन पुरुष जो पेंसा भी दे रहा है और अलग भी रह रहा है वह डाइवोर्स के लिए एप्लाई नहीं कर सकता है। यह बड़ा डिस्क्रीमिनेशन है। उसको भी राइट होना चाहिये कि वह अपना पार्टनर ले सके, जीवन साथी ले सके और शादी कर सके। औरत को तो राइट है। उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसको पैसा मिलता है, खाती पीती है लेकिन अगर पुरुष बेचारा अपना घर बसाना चाहता है, बंश को प्रागे चलाना चाहता है तो इसका इसको राइट नहीं है और यह राइट नहीं है कि मादी कर सके।

क्लाज 27 स्पेशल मैरेज एक्ट में भी इसी तरह की एक धारा है। दोनों को आपको बदलना चाहिये। दोनों के लिए आपको एमेंडमेंट लाने चाहिये। वर्ना इसका मशरूब यह होगा कि आप डिस्क्रीमिनेट कर रहे हैं। सोशल लाइफ में टेंशन भी इससे होगा। ऐसी बात नहीं है कि ला मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकषित न किया गया हो। 1972 में

श्री बेनकटासुबैया ने आपको एक पत्र लिखा था और आपको कहा था कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। 4 दिसम्बर 1973 को फिर उन्होंने आपको पत्र लिखा। पार्लियामेंट में साबल भी किया था स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 480। इसका आपने यह उत्तर दिया था :

“Certain proposals for amending the law relating to divorce, including a suggestion to grant a right to seek divorce in cases where maintenance under Section 488 of the Code of Criminal Procedure has been ordered, are being examined.

No decision has been taken in this regard.”

उसके बाद आपने उसका जवाब दिया :

“Please refer to your letter dated December 4, 1973, regarding the proposal for amending the divorce law so as to grant right of divorce to parties in whose case maintenance under Section 488, Criminal Procedure Code, has been ordered. The proposal is being considered along with other suggestions for liberalising the provisions relating to divorce under the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954.

The proposal has been linked with the other proposals with a view to avoiding piece-meal legislation and will take some more time to bring forward the necessary amending legislation”

उसके बाद आपने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री बनमाली पटनायक ने भी आपको पत्र लिखा इसी के सम्बन्ध में। उसको भी आपने वही उत्तर दिया :

“Please refer to your letter of the 11th June, 1974 regarding the granting of a right to either party to a

marriage to seek divorce if they are separated under section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

The Law Commission has made its recommendations with regard to the matter and the said recommendations are under the consideration of the Government. As soon as a decision is taken in the matter, a further communication will follow."

And this 'further communication' will never follow.

उसके बाद जब बिल पेश हो गया राज्य सभा में 7 अप्रैल, 1976 को तो राज्य सभा के सदस्य श्री कृष्ण कान्त ने इस सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी। लेकिन आप ने सब को इग्नोर किया। नहीं मालूम क्यों? पुरुषों से क्या आप को चोर है, मुझे मालूम नहीं। आप के प्रीडिसेसर, श्री गोविन्द मेनन, ने कहा था कि यह ठीक है कि इस में सशोधन होना चाहिये। आप ने बल बहा कि राइट तो कहा राइट है, मेरी समझ में नहीं आता। आप अमेन्डमेंट कर रहे हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are taking too much time.

SHRI D. N. TIWARY: I am not a lawyer. I cannot speak spontaneously. I have to sort out the papers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a good number of members who want to speak.

SHRI D. N. TIWARY: I want an amendment to this Act which is causing hardship to many.

SHRI H. R. GOKHALE: I have understood the point. I will reply to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister has understood it. That simplifies your matter.

SHRI D. N. TIWARY: If you simply take this one here in the same page, page 5, after explanation to sub-section (ii) then it can solve the purpose. But when you are not doing it there but

you are keeping it here, it becomes discriminatory. There the husband has no right to apply. On account of his assurance that there is a right for the husband also for divorce, I could not give my amendmen. If you like, I will send it over to you. I have got it here. It can be moved. If he replies and if you are satisfied and if I am satisfied, I will withdraw it. If not, it should be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have given notice of your amendment?

SHRI D. N. TIWARY: On his assurance I did not. But I am giving notice just now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Notice should have been given yesterday or the day before.

SHRI D. N. TIWARY: I consulted the Law Minister and he assured me that there is a right in this section for divorce by the husband.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he agrees to your point of view, nothing stands in the way to bring an amendment.

SHRI D. N. TIWARY: If he is convinced that it is not there...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply. He has understood your point. That should satisfy you.

Now, there are certain rules for giving amendments. You cannot give amendments just on the floor of the House like this.

Mr. B. R. Shukla.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): The amending Bill is welcome in many respects.

Under the existing Section 14 a petition for divorce can be presented 3 years after the marriage has taken place. Only in exceptional circumstances of hardship and depravity,



[Shri B. R. Shukla]

petition can be presented earlier under the rules made by the High Court. Now, to this, an amendment is being made that a petition for divorce can be presented after one year of marriage. So, in this respect, the amendment is very liberal and very welcome.

The second point is that a new clause is sought to be inserted, namely, Clause 13(B) according to which, if the parties have been living separately for a period of one year or more and it has not been possible for them to live together, then by mutual agreement, the marriage can be dissolved. This is such a revolutionary and unprecedented measure that the parties after one year can always get their marriage dissolved. Now, this is in conflict with Sections 20 and 25 of the existing Act. According to Section 20, in the petition it has to be stated by the petitioner that the parties are not in collusion for bringing a termination of the marriage and the Judge, while deciding the case, has to give a finding that the petition for divorce is not a collusive one. Section 13(B), sub-clause (2) says that by mutual agreement they can bring about dissolution of marriage. Therefore, those sections are in conflict with this.

If after passing the decree of conjugal rights restitution has not taken place for one year, divorce petition can be presented and similarly if there was no resumption of cohabitation between the parties for one year after passing of decree of judicial separation then also divorce petition can be presented. These are very liberal measures.

I agree with Mrs. Roza Deshpande's contention. There is the provision that if the spouse has not been heard of for 7 years by persons who ought to have known his whereabouts, only then the divorce petition is permissible. This is a very hard thing and I may say, an obsolete idea. It was based on the provision of Indian Evidence Act that a person not heard of for 7 years or more shall be presumed to have

died. On that basis this clause was inserted. My submission is this. In matrimonial matter if the parties have by force of circumstances within or outside their control been able to live together in the best period of their married youthful lives, then, the marriage should be dissolved.

Therefore, this period of 7 years should be reduced to 3 years. This is a self-contained law. Divorce and judicial separation can take place only within the purview of the provisions of the Hindu Marriage and Special Marriage Act.

There are thousands of marriages which are dissolved and which are terminated by the customary law of the parties. Those customary laws are operating in Hindu Society.

Therefore, there should be a provision in this Act that nothing in this Act shall operate to bar dissolution of marriage if they have been mutually agreed upon by parties. That will save time of the court, that will save the expenses of the parties.

So far as judicial separation is concerned, it has been made permissible on the same ground on which the decree for divorce is obtainable. Previously for judicial separation, one of the grounds was that if the person had voluntary intercourse with a person other than his own spouse. The ground for divorce was the respondent living in adultery. There is difference between living in adultery and having sexual intercourse with person other than his or her own spouse. Voluntary sexual intercourse may be a lapse only for once while living in adultery means continuous way of sexual life with another person.

One single lapse, I think, should not be a sufficient ground for obtaining a decree for divorce.

I agree with my hon. friend, Sardar Swaran Singh Sokhi, that the biological urges under certain circumstances compel a man to deflect from the path

of rectitude or from the peaceful marriage life. That person either should speak lies that he has not entered into such an intercourse even for once or, if he admits that, then that is the ground for his spouse or her spouse for seeking a divorce or judicial separation.

Therefore, my submission is that this occasional lapse from the path of marital rectitude should not be so harsh as to invite the provision of divorce or judicial separation. In the old days the marriage was a sacrament. We have given a good-bye to that ancient principle that marriage is a sacrament and that it continues throughout the life of the partners and it continues even beyond this life. That principle is no longer relevant or applicable in the context or the changed social values of our modern life. Therefore, once the principle of divorce and the principle of judicial separation has been conceded and incorporated in the Hindu Marriage Act, 1955, the only question that remains relevant under the present Bill is whether the divorce should be easier or whether the agony of the unhappy couple should be prolonged for three years, four years, or five years or the agony should be terminated and the couple should be taken out of that position in which they were placed by unfortunate circumstances.

Therefore, the Bill is all the more welcome. The only point which I would like to say in this connection is that this Bill, the Hindu Marriage (Amending) Bill and the Hindu Marriage Act, wherein the amendments are going to be incorporated, extend only to a section of our society. There is a demand in the other sections of the society that a suitable Bill extending to their community should also be brought by Government.

I perfectly respect the feeling and religious susceptibility of other communities. But, the leaders of these communities and those who are modern

in their outlook should create an atmosphere in which an analogous Bill extending the benefit of such beneficial measures should also be enacted for them.

With these submissions, I support the Bill in its entirety.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the motive of this Bill.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Don't you appreciate it?

SHRI B. V. NAIK: I do not know the Queen's English of comrade Parvathi Krishnan.

The motive is good that in a society like ours, a man and woman choose their own life and, when they think that living together is difficult, they decide to stay apart. Legal barriers should not stand in the way of such a decision. To that extent it is all right.

15 hrs.

But, when we come straightway to this particular and most operative part of the Bill on which, perhaps, a very large number of future divorces may take place in this country, namely, that if a person, after the solemnization of the marriage had voluntarily a sexual intercourse with any person other than his or her spouse, I think there are limits upto which the State which symbolises the society should go. I heard very recently that there is a divorce law in Australia whereunder this entire thing regarding adultery has been completely eliminated. I am not saying that we permit a sort of permissive society where the conduct of an individual—male or female—has absolutely no standards. But as was pointed out by some of the learned speakers, if we go through the red-

[Shri B. V. Naik]

light districts of the big urban metropolis and see the total institution or the industry of prostitution in the world who would believe that it could continue in such stringent laws. In all earnestness I would like to say, the question would arise—I would not like to quantify as was done by one hon. Member—at which point should you draw a limit. I would not go to the extent of quantifying it as 75 per cent as was done by one hon. Member. Why not leave it in an inter-personal relation that a particular partner has committed a breach of faith or a breach of promise or has broken the solemn promises that he gave at the time of marriage? Why not leave it for mutual adjustment at a particular point of time? Therefore, I would consider this as not only a sort of utopian concept of our society but I would also consider it as being downright unpractical in life. Let us not bring in our personal experiences or personal beliefs or personal revisions into play at the time when we are legislating for the society as a whole. I think the institution of marriage, particularly in a backward and undeveloped country like ours, where it offers security more for a woman than for a man is too sacred for us politicians to tamper with. I would, therefore, urge upon the Minister to kindly leave the institution of marriage in its private position. Of course, the judiciary will say, let us have a clear mandate from the legislature and the Parliament of this country. I would go to the extent of saying when a personal conduct of a man or a woman, who are partners in a marriage, becomes intolerable because of bad conduct without trying to define it as something which is very personal and putting it on the statute book, leave it to those people who constitute marriage. Let either of them decide whether it is one intercourse—voluntary or not voluntary—when to break their marriage, details should not be provided in the statute. Kindly throw it out of this statute book.

SOME HON. MEMBERS: What!

SHRI B. V. NAIK: It is no laughing matter. A soldier who goes to the battlefield or a person who comes to a big city to earn his living do we expect all these people in this twentieth century to be 'Ramas'. Ramas have different connotations in Bombay. That is a different matter. Ramas today in Bombay are the domestic male servants. There is a history behind it. So, as I was saying, let us be practical.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: He does not know what he is speaking.

SHRI B. V. NAIK: Sometimes she seems to be mythological Parvathi and not comrade Parvathi.

I appeal in all earnestness to the good sense of the House and urge upon the hon. Minister to consider it in all seriousness. Make it flexible.

I have before me the very good document about the status of women in India. Our good friend, Shri Vikram Mahajan, who is not paying any attention to this debate, was a member of that committee and had done yeoman service. The point they have made is, "Our recommendations are primarily to guarantee the rights guaranteed to the women under the Constitution." Sir, unfortunately you and many members of this House are not born women and we will never be able to understand how a woman feels like. It is no mistake of ours, but in order to bring in a sense of justice in cases of judicial separation, divorce, etc., to the extent possible the divorce courts should be manned by women judges, in order to have a semblance of fair dealing, because in a majority of these cases it is the woman who is wronged. I have discussed it with my friends. After all, many of us here are married people, the privileged ones who can have companionship in life. I am looking at the vast multitudes in this country, those educated unem-

ployed, one crore of them, and my submission is, we will have to solve the problem of unemployment to make marriage meaningful to these under-privileged people.

With these words, I support the Bill.

**SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi):** Sir, I rise to support the Bill. I am not a lawyer and I would speak only from the point of view of the social psychology of society. Our Hindu philosophy is not static. Formerly there were joint families where father, another, parents, sons, daughters-in-law etc. were living together and the elders could see that the marriages of their children were not broken. But things are fast changing. Now couples have to stay in cities to earn their livelihood. Naturally there are some occasions when there is friction between husband and wife and more often, the wife has to suffer. I know an instance where a friend of mine was suffering from gangrene and one of his legs was cut off. He was insisting that his wife should take a divorce and remarry. But she said, as a Hindu wife, she was not proposed to divorce him and she would nurse him. She had to wait for six years. When his second leg also was cut off, he prevailed upon me to see that his wife got a divorce. As a noble soul, when she got the divorce, she asked his friend to marry her and till his death that woman was nursing him when he was lying on his bed. That is the Hindu philosophy. Because the divorce law is there, nobody can say that every boy and girl will go to the court and get a divorce. Marriage is a compromise, a contract in life between a husband and a wife. Because there is a divorce law, I do not think, people run to the courts and take divorce everyday. But in cases where divorce was necessary because of cruelty or some sort of disease and the couple had to wait for six years, I think it was cruel. Now, in the new Bill, the period has been reduced. This is a very good thing and this will be in the interest of the society.

This Bill is meant for Hindu Marriage Act. But I think, there should be a civil code for all the communities of this country. Under Article 44 of the Constitution, the State is empowered to make a common law for all the people. There are women in other societies, in other communities who are in distress and who desire to have talaq. From this point of view, I would urge upon the Law Minister that a common civil law should be brought before this House to give justice to all.

**श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) :**

उपाध्यक्ष जी जिम मकसद से यह बिल माननीय विधि मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है मैं उन की भावनाओं का आदर करता हूँ और इम का समर्थन करता हूँ। मान्यवर भारत में हिन्दू धर्म के नाम पर बहुत दिनों से औरतों का जो शोषण हुआ था उस समाज को शोषण-विहीन समाज बनाने के लिये ऐसे बिल की आवश्यकता थी। हमारे समाज में आज जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी उस में स्त्री समाज को प्रोटेक्शन देने की बहुत सख्त जरूरत थी और उस प्रोटेक्शन के लिये यह जरूरी था कि हमारे नियमों में परिवर्तन और परिवर्धन किया जाय—इसी लिये यह बिल यहां लाया गया। हमारे माननीय मंत्री जी जिन्होंने स विधेयक को यहां पेश किया है वे आज की जरूरत के मुताबिक आज की प्रकाशाओं के मुताबिक इस बिल को यहां लाये हैं। स्त्रियाँ जो आज पढ-लिखकर समाज में अपना स्थान प्राप्त करना चाहती हैं घर से बाहर जाने के बाद जिस प्रकार से समाज में उन को हीन भाव से देखा जाता है—इस सन्दर्भ में यह बिल बहुत ही स्वागत योग्य है।

लेकिन मान्यवर आज हमारे समाज में एक ऐसा बेस्टन टाइप एनीमेन्ट भी व्याप्त हो गया है जिस में यदि सारे समाज पर

### [श्री नरसिंह नारायण पांडे]

इस बिल को लागू किया जाय तो इस का प्रभाव केवल 10 या 15 प्रतिशत लोगों पर ही पड़ेगा और वे लोग जो ब्रेन-ड्रेन से हमेशा परेशान रहते हैं समाज के अन्दर ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो स्त्रियों का आदर नहीं करते हैं जो स्त्री को गृहणी नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नहीं समझते हैं, अपनी सहयोगिनी नहीं समझते हैं, उन के ही ऊपर यह लागू हो सकता है। हमारी माननीय सदस्या श्रीमती रोजा देशपांडे जी और पार्वती कृष्णन् जी ने अनेकों मिसालें यहां पर दीं हैं। मैं भी श्रीमन् एक-दो मिसालें ऐसी जानता हूँ कि जिन के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रकार के बिल को यहां पर लाना बहुत जरूरी था। यह विशेषकर उन लोगों पर लागू होता है जो पढ-लिख कर वेस्टनरिज हो जाते हैं, मैट्रियल-युग में अपने को झलते चले जाते हैं, पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाते हैं। आज जो 80 परसेन्ट लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं वे गांवों में रहते हैं और उन के ऊपर यह लागू होना मुश्किल है और शहरों में जो 10, 20 परसेन्ट लोग आ कर बस गये हैं और जिन में अंग्रेजी सभ्यता की थोड़ी बहुत बू आ गई है, उन पर ही यह लागू होगा। आज देहातों में जो औरतें हैं वे पति को देवता के रूप में मानती हैं और इस बिल को लागू होने से उन पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज भी वे चाहती हैं कि हम दोनों के सम्बन्ध अखर रहें और संगिनी बन कर वे अपने पति की सेवा करती रहें और पति उन का हमेशा साथ देता रहे। मनु से ले कर आज तक का जो इतिहास है, उस के पढ़ने के बाद हमारा विभाग बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि यह कानून केवल 10, 15 परसेन्ट स्त्रियों और मर्दों के लिये ही है जोकि ब्रेन-ड्रेन से प्रभावित हैं और उन के लिए इस कानून को मान लेना चाहिए और उन को मौका देना चाहिए कि वे अग़र डाइवोर्स करना चाहें तो कर लें। इस में डाइवोर्स का जो समय रखा गया है वह

ठीक है और जो दूसरी प्रक्रियाएँ दी हुई हैं वे भी ठीक प्रक्रियाएँ हैं लेकिन आध भी यदि कोई कहे कि यह सारे देश में लागू होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस के कानून बनने के बाद सारा देश इस को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, जैसा कि मैंने पहले धर्ज किया, ब्रेन-ड्रेन से जो प्रभावित हैं, वे अपने प्रेम के नाते शायी-विवाह करते हैं और वह प्रेम कभी नहीं बसता है और बाद में जा कर टूट जाता है, उनके लिए यह कानून उपयुक्त कानून है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ और जैसा कि हमारे साथी श्री धामनकर ने कहा कि कानून एक तरह का होना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी के लिए खास कानून बने, हिन्दुओं के लिए कोई कानून बने और मुस्लिम के लिए न बने, किश्चियनों के लिए न बने, तो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर अपेक्षा करूँगा कि इस तरह का यदि कानून आया होता तो सारे धर्मों के लोगों पर, सारे महजबों के लोगों पर—नाहे हिन्दू हो या दूसरी कौम का हो—एक इन्सान के रूप में लागू किया जाता तो बहुत अच्छी बात होती और संविधान के अनुरूप वह चीज होती और इस से हम देश के अन्दर इक्वैलिटी की भावना पैदा कर सकते थे। यह सिर्फ़ हिन्दुओं के लिए आया है और दूसरी क्लासेज के लिए नहीं आया। इसका तो होना चाहिए था “स्पेशल इन्डियन मैरिज एक्ट”, लेकिन इस का नाम दिया गया है “स्पेशल मैरिज एक्ट”। मैं समझता हूँ कि इस के ऊपर आप को विचार करना चाहिए जिस से कि यह सारे समाज के लोगों पर लागू हो और किसी एक धर्म के लोगों पर ही लागू न हो।

इन शब्दों के साथ यह जो मैरिज लाज (एमेंडमेंट) बिल, 1976 सचन में आया है, इस का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी (निजामा-  
बाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं गोखले साहब को  
बधाई देता हूँ न सिर्फ़ इस वास्ते कि ये इतना  
अच्छा बिल इस सदन में आये हैं बल्कि  
इसके लिये भी कि इन्होंने सदन में एक लाइवली  
डिबेट करने का मौका सदस्यों को दिया है।  
बहुत जमाने के बाद एक लाइवली डिबेट  
इस सदन में हो रही है और न सिर्फ़ ज्यादा  
मेम्बर्स दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि प्रेस गैलरी  
में भी आज ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जबकि  
पहले बहुत कम होते थे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You need  
not refer to the gallery.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY:  
Thank you, Sir.

जो यह बिल लाया गया है वह हर  
तरिके से मुकम्मिल है और पूर्ण है क्योंकि  
यह बिल मिनिस्टर गोखले ने ही नहीं ड्राफ्ट  
किया है बल्कि जस्टिस गोखले ने इसको  
ड्राफ्ट किया है और उसके बाद ये इसको  
हमारे सामने लाये हैं। यह पहली दफ़ा है  
कि इसमें "हिन्दू" शब्द नहीं जोड़ा गया है  
और यह संशोधन इन्होंने किया है और  
इसका नाम इन्होंने "दि मैरिज लाज (एमेंड-  
मेंट) बिल, 1976" दिया है। इसलिए  
भी मैं गोखले साहब को बधाई देता हूँ क्योंकि  
जब पहले इसमें "हिन्दू" शब्द था, तो तमाम  
भारतवर्ष में बहुत चर्चा हुई और उसका  
बड़ा विरोध किया गया था। उस शब्द को  
निकालने के बाद आज हमारे समाज में  
जितने भी लोग हैं, उन सब पर यह लागू  
होता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सब से  
बड़ी चीज़ इसमें यह हुई है।

इसमें जो 16 वर्ष की आयु में शादी  
होना और 18 वर्ष की आयु में डाइवोर्स  
करने की बात है, वह कुछ ठीक नहीं दिखाई  
पड़ती है क्योंकि दो साल में तो बच्चे हो  
जाते हैं और बच्चे हो जाने के बाद डाइवोर्स  
बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए विवाह

की उम्र भी 18 से बीस साल कर देनी  
चाहिए। उसके बाद डाइवोर्स का भी इसके  
साथ मेल बिठाया जाना चाहिए।

यह देखने में आ रहा है आजकल कि  
बहुत से लोग डाइवोर्स किये वगैर विदेशों को  
चले जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं  
इनको भी आपको देखना चाहिए।

विदेशों से लोग और खास तौर पर मिडल  
ईस्ट से लोग यहां भारत में आते हैं और  
शादियां करके लड़कियों को विदेशों में ले  
जाते हैं। ऐसे केसिस भी हमारे नोटिस में  
आये हैं जिनमें वे वहां पर इन लड़कियों से  
वैश्यावृत्ति करवाने का काम करते हैं।  
मैं चाहता हूँ कि इसका भी कोई उपाय आपको  
करना चाहिये। जो भी भारतीय लड़की  
किसी विदेशों के साथ शादी करे और यहां  
से विदेश आये तो मैं समझता हूँ कि जिस  
देश में वह जाये वहां की सरकार से आपको  
गारंटी इसके बारे में लेनी चाहिए कि उसकी  
देखभाल ठीक से होगी। हमारे जो एम्बेसेडर  
हैं, जो हाई कमिश्नर हैं उनके पास भी पूरी  
रिपोर्ट इस तरह की बातों की होनी चाहिए।  
भारतीय लड़कियों को विदेशों में ले जा कर  
जिस तरिके से वे इज्जत किया जा रहा है  
यह बहुत ही खराब चीज़ है। इसका भी  
आपको कोई इंतज़ाम करना चाहिए।

डाइवोर्स हो गया तो जो बच्चा है  
उसके लिए आप ने यह व्यवस्था की है कि  
पांच साल तक वह अपनी मां के पास रहे  
और इस अवधि के पूरा हो जाने के बाद  
वह फिर सौतेली मां के पास भेज दिया  
जाये। पुराने जमाने से हम देखते आ रहे  
है कि सौतेली मां का व्यवहार अपने सौतेले  
बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता था। इसलिए  
जो भी डाइवोर्स करना चाहता है उसके लिए  
आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि  
उसके बच्चे के वास्ते पूरे-पूरे खर्च की व्यवस्था  
हो और उसकी प्रापटी में से बच्चों को हिस्सा

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

मिले। बच्चा अपनी असली माँ के पास ही रहना चाहिए। इस तरह का एमेंडमेंट आप लाये होते तो बहुत अच्छा होता।

यहां वेदों और पुराणों की बात भी की गई है। यह कहा गया है कि उसके अनुरूप यह बिल नहीं है। यह भी कहा गया है कि उमाना बहुत बदल गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वेदों और पुराणों में भी डाइवोर्स की व्यवस्था थी। नल दमयन्ती की जब शादी हुई और जब नल का पता नहीं चला तब दूसरे स्वयंवर की घोषणा की गई थी। जो लोग वेदों को नहीं जानते हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा तक नहीं है, वे वेदों का भाष्य कर रहे हैं। इन्होंने वेदों और पुराणों को पढ़ा तक नहीं और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया है। वेद संस्कृत में हैं। उनके बारे में जो पेपर्स में या मैनेजीज़ में आता है अगर उसको ही इन्होंने पढ़ लिया होता तो इस किस्म की बात ये नहीं करते। सोलह सत्कारों का वर्णन उनमें है। जन्म सत्कार से लेकर दान सत्कार तक है जिसमें विवाह सत्कार भी है। पुराना सब चीजें गलत हैं और नई सब सही हैं यह धारणा गलत है। हम को चाहिए कि पुराना चीजों को हम पढ़ें और उन पर मनन करें। उन पर विचार करें। कुछ म्बेर वेदों के ऊपर यथा व्याख्यान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन महाशय ने वेदों को देखा भी नहीं होगा। क्रिटिसिज्म करने से पहले उनको पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था, हिन्दू अपनी पढ़ लेनी चाहिए थी। यह कहना कि चूँकि डाइवोर्स बहुत आसान कर दिया गया है इस वास्ते इसकी बहुत ज्यादा घटनाएं हो जायेगी ठीक नहीं है। यह एक बहम है। इस्लाम की बात को आप लें। उममें यह है कि अगर मर्द खड़ा होकर औरत को बोल दे, तलाक, तलाक, तलाक, तीन बार बोल दे तो तलाक हो जाता है। इतना छोटे हुए भी

हम देख रहे हैं कि इस्लाम में तलाक ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अगर कोई धारा ही न रह जाये तभी डाइवोर्स का प्रावधान किया जा रहा है और इससे फायदा उठाया जा सकता है।

इतना अच्छा बिल लाने के लिए मैं गोखले साहब को एक बार फिर बधाई देता हूँ और अपना भावण समाप्त करता हूँ।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : जो मैरेज ला एमेंडमेंट बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है यह समय और समाज की मांगों के अनुरूप है। सन् 1954 और 1955 में जब विवाह कानून बना था तब से आज तक बहुत परिवर्तन हो गये हैं और हमारी मांग्यताएं भी बहुत बदल गई हैं। सामाजिक सम्बन्धों की विवाह के सम्बन्धों की जो पुरानी धारणाएँ थीं वे भी बड़ी तेजी से बदल रही हैं। एक के बाद एक हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो एमेंटमेंट्स इस कानून में पेश किये हैं, बिल में पेश किये हैं वे काबिले तारीफ हैं। पहले जो कानून थे उनके अधीन अगर घर में स्त्रियों को पुरुष परेशान करते थे, जुल्म और अत्याचार करते थे तो वह भद्रालत में इसलिये नहीं जा सकती थी कि वहाँ काफ़ी लम्बा समय लगता था और कोर्ट की परेशानी घर के जुल्म और अत्याचार से बढ़कर होती थी। अब मंत्री महोदय ने इसको सरल बना दिया है। अब तलाक और विवाह के केसेज जो हैं उनको जल्दी से निपटाया जा सकता है, और एक नया सशोधन डाइवोर्स बाई कन्सेट, पेश किया है जो अनुपम सशोधन है और इससे काम बहुत आसान हो गया है। क्योंकि कभी-कभी जब स्त्री और पुरुष दोनों समान भावना के होते हैं तो वह आपस में बातचीत करके भी समस्या का निपटारा कर सकते हैं और कन्सेट से डाइवोर्स हो सकता है। यही नहीं इसके साथ-साथ अगर डाइवोर्स की प्रोसीडरेंस चल पड़े तो कोर्ट इस बात के लिये प्रोसीडरेंस रोक सकता है कि 15 दिन के अन्दर दोनों पार्टियाँ समझौता

कर लें। इसका या इसमें सुझाव है। और एक नया उपाय भी रखा है कि कोर्ट किसी ब्राह्मणी को या दोनों की मंजी से कोई समझौता कराने वाला अर्थात् भी नियुक्त कर सकता है। अगर गौर से देखें तो जो 1954 और 1955 के पुराने कानून थे वह समाज के अनुकूल नहीं थे। आज हमारा समाज बड़ी तेजी से वेस्टरनाइज्ड हो रहा है और विवाह करने के तरीके में अर्जीव-अर्जीव चीजें सामने आ रही हैं। आजकल तो टेलीफोन से भी शादी हो जाती है, और मुझ को तो यहां तक मालूम है कि महात्मा गांधी की समाधि पर नये और दोनों ने सर झुका दिया और शादी तय हो गई। तो समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है और उसके लिये ऐसा कानून होना चाहिए था।

भारत की नारी को अभी तक लोग एक छिलौना समझते थे, भोग-सभोग और मनोरंजन का साधन समझते थे, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पूरा करने का साधन समझते थे। यह जो बिल है यह न केवल स्त्री को समान अधिकार दिलाता है, बल्कि नारी वर्ग को एक भावना मिलती है कि मैं पुरुष के बराबर हूँ। तो कानून जहाँ पर विवाह के सम्बन्ध में एक नया मोड़ पैदा करता है वहाँ समाज में स्त्री और पुरुष की समानता का एक नया वातावरण भी पैदा करता है। जो कानून पेश हुआ है, आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में रहने वाली दूसरे देशों की नारियों से हमारे भारतीय लोग शादी करते हैं। जो वेस्टरनाइज्ड औरन हैं उनमें डाइवोर्स की बड़ी भावना होती है। जब वह किसी भारतीय से शादी करने को तय करनी थी तो डाइवोर्स ला को बड़े गौर से पढ़नी थी और देखती थी कि अगर भारतीय से शादी कर लें तो डाइवोर्स ही नहीं हो सकता है। लेकिन अब इसके बाद इन्टर कास्ट मैरिजेंज होगी, दूसरे देशों की औरतों से शादी करने का प्रचलन होगा, और इस डाइवोर्स कानून से लोगों को बड़ी

शक्ति मिलेगी, आसकर औरतों को। यह स्त्री समाज को शान्ति से जाने वाला कानून बनेगा।

आप ने बहुत अच्छा संशोधन रखा है कि जो प्रोसीडिग्स होंगी डाइवोर्स की कोर्ट्स में वह इन कैमरा होंगी। यह एक अच्छा डाइडिया है। लेकिन अगर कोई डाइवोर्स कर दे तो आप ने 1,000 रु० जुमनि की बात रखी है। आजकल के जमाने में 1,000 रु० के क्या माने हैं? मैं चाहता हूँ कि जुमनि की जगह कम-से-कम तीन लाख की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक बार बदनामी किसी की करने के बाद, उसकी कहानी प्रखबार में निकलने के बाद वापस नहीं आ सकती है। तो मंत्री जी सजा का प्रोवीजन करें तो बहुत अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अन्ना शैलानी (हाथरस) - माननीय उपाध्यक्षजी, यह बिल लाकर माननीय मंत्री जी ने जो साहस दिखाया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इस बिल का स्वागत करता हूँ।

भारतीय संस्कृति और मर्यादा के अनुसार विवाह एक पवित्र एवं अटूट बन्धन है। जो पति पत्नी एक बार विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है कि उनका साथ तभी छूटता है जब वह दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कुछ परम्पराएं और मिसालें इस तरह की रहीं हैं जिनकी वजह से यह शादी का बंधन कभी-कभी एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है पति पत्नी के दिल और दिमाग में, जिससे उसका जीवन दुस्वार हो जाता है।

असल में बात यह है कि हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बहुत से



## [श्री बन्धु शैलानी]

दोष है, जैसे शादी होती है, कर्म-कमी ऐसा होता है कि लड़के और लड़की को इच्छा के विपरीत शादी हो जाती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member will continue on Monday.

Now, we take up Private Members' Business. Bill to be introduced, Mr. Panda.

15.32 hrs.

CONSTITUTION \*(AMENDMENT)  
BILL

(Amendment of article 15 and insertion of new article 16A, etc.)  
by Shri D. K. Panda.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI D. K. PANDA: Sir, I introduce the Bill.

15.34 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL

(Amendment of article 124)  
by Shri P. K. DEO—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up further consideration of the following motion moved by Shri P. K. Deo on the 7th May, 1976:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Last time, Mr. Somnath Chatterjee was on his legs. But he is not present in the House now.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): He is held up in Calcutta.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not present in the House now. The next name that I see here is the name of my good friend, Mr. Naik.

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have gone through the Constitution (Amendment) Bill which Mr. P. K. Deo has brought forward. It seems that the main thrust is towards the maintenance of the principle of seniority to govern the selection of the Chief Justice of the Supreme Court—and whatever are the other technicalities. I have submitted an amendment—I have not been able to lay my hands on a copy of the same—in regard to the qualifications of the Chief Justice of the Supreme Court who, according to Mr. P. K. Deo, should nominate his successor to succeed him in the case of his retirement. I have suggested that the qualification of a Chief Justice should be that he should be the most relevant, and relevance, I feel, in regard to a Member adorning the Benches of the judiciary at the highest place in this country should be a sort of social relevance, knowing the problems before the country and the solutions that are going to be presented. A judge who is not living in the present and is also not viewing the future of the country will not be able to do justice in bringing to the common people, to the petitioners before him, what is called social justice.

Sir, most of the members belonging to this venerable or revered profession of judiciary are definitely men of learning and are also men with a deep amount of compassion, but like most of us, they are not in a position to get away from the grip of their own environments; the environment need not necessarily be an environment of a class or of a section, however privileged it may be, or of a profession, of a training or of the background of affluence or lack of contact